रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13082020-221087
CG-MH-E-13082020-221087

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942
No. 320] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मुंबई, 2 जून, 2020

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सचर, सदस्य (आर्थिक)

शुद्धिपत्र

(जून, 2020 के 1 वें दिन पारित)

सं. टीएएमपी/20/2019-वीपीटी.—इस प्राधिकरण ने विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) से उनके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिये प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संशोधित दरमान और निष्पादन मानक अनुमोदित करते हुए 29 नवम्बर, 2019 को आदेश सं.टीएएमपी/20/2019-वीपीटी पारित किया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान और निष्पादन मानक भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग-4, खंड-III) में 27 दिसम्बर, 2019 के राजपत्र संख्या 494 मे अधिसूचित हुए थे।

2. राजपत्र की अधिसूचना और भारत के ई-राजपत्र से डाउनलोड किये गये आदेश की अधिसूचना की कार्यालय प्रति और प्रकाशन विभाग को भेजे गये आदेश से मिलान करने पर अनुलग्नक-1 यानी उक्त राजपत्र अधिसूचना के दरमान के हिंदी रुपांतर में अधिकतर पृष्ठों पर मुद्रण संबंधी अनेकों अशुद्धियां पायी गई हैं। अशुद्धियां अनुलग्नक-1 के अनेकों वाक्यों में शब्दों के आगे पीछे होने से संबंधित हैं और वह भी अधिकतर पृष्ठों पर हैं।

3. उक्त को देखते हुए, कथित राजपत्र अधिसूचना के अनुलग्नक-1, यानी दरमान का हिंदी रुपांतर, को अनुलग्नक-1 के रूप में फिर से अधिसूचित कराया जाता है। इसके द्वारा 27 दिसम्बर, 2019 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 494 के अनुलग्नक-1 को प्रतिस्थापित किया जाता है ।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन–III/4/असा./176 /2020–21]

अनुलग्नक - I

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास
दरमान
खंड – 1

परिभाषाएं तथा सामान्य शर्तें एवं निबंधन

1.1. परिभाषाएं - सामान्य

इन दरमानों (एसओआर) में, जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(i) **"तटीय पोत"** का अभिप्राय – पोत परिवहन महानिदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।

(ii). **''कोल्ड मूव''** का अर्थ है पोतीय इंजिन चलन के बिना पोत का संचालन।

(iii). **''दिवस''** का अभिप्राय है दिन 6.00 बजे से आगामी दिन के 6.00 बजे तक की अवधि।

(iv). **''विदेशगामी पोत''** का अभिप्राय तटीय पोत से इतर कोई अन्य पोत से है।

(v). **"सप्ताह"** का अर्थ है 7 दिन की अवधि।

(vi). **"उपकरण उपयोक्ता (हायरर)"** का अर्थ है पत्तन के उपकरणों का उपयोग करने वाला उपयोक्ता।

(vii). **"माह"** से अभिप्राय कैलेंडर माह से है।

(viii). **"पीओएल"** का अभिप्राय: - पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों से होगा तथा केवल पोत से संबंधित प्रभार लगाने के लिए इसमें एलपीजी पोत भी शामिल किए जाएंगे।

(ix). **'शेष अन्य वर्ग (रेजिडयूअल कैटेगरी)"** का अभिप्राय:, पोत से संबंधित प्रभार लगाने के लिए (फिशिंग पोतों को छोड़ कर), लौह अयस्क और पल्लों (यांत्रिक प्रहस्तन) व पीओएल पोतों से अन्य पोतों से हैं।

(x). **"एसटीएस"** प्रभारों का अर्थ है - पोत से पोत स्थानांतरण प्रभार।

1.2. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

(i). पोत संबंधी प्रभार लगाने के प्रयोजन से श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए ''विदेशगामी'' अथवा ''तटीय'' श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए पोत का दर्ज वर्गीकरण, निर्णायक घटक होगा, ''तटीय अथवा विदेशगामी'', जैसा सीमा शुल्क विभाग अथवा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी इसके प्रमाणन में दिया गया होगा, और कार्गो की प्रकृति अथवा उसके उदगम की इस प्रयोजन से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

(ii). **क.** पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए पोतों के वर्गीकरण की प्रणाली

(i). पोत की स्थिति, सीमाशुल्क अथवा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा इसके प्रमाणन द्वारा यथा वहन यह निर्णयकरने के लिए प्रासंगिक कारक है भले ही पोत पोत-संबंधित प्रभारों की वसूली

के प्रयोजन के लिए ''तटीय'' अथवा ''विदेशगामी'', और कार्गो की प्रकृति अथवा इसका मूल इस प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिक नहीं होगा।

(ii). विदेशी पताका वाले विदेशगामी पोत का, पोत परिवहन महानिदेशक और सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश द्वारा विशिष्ट अवधि के लिए जारी तटीय यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय चालन के रुप में परिवर्तन हो सकता है।

ख. रियायती तटीय दर और विदेशी दर पर पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए मानदंड:

(i). ऐसे परिवर्तन के मामले में, पोत द्वारा तटीय माल की लदाई शुरू करने के समय से लोड पत्तन द्वारा तटीय दरें प्रभार्य होंगी।

(ii). परिवर्तन के ऐसे मामलों में, तटीय दरें तभी तक प्रभार्य होगी जब तक पोत भारतीय पतन पर आखिरी तटीय कार्गो को उतारने का प्रचालन पूरा करता है। उसके तुरंत बाद उत्तरायी वाले टर्मिनल द्वारा विदेशगामी दरें प्रभार्य हो जाएंगी।

(iii). पोत परिवहन महानिदेशक से तटीय लाइसेंस प्राप्त एकनिष्ठ भारतीय तटीय पोतों से, तटीय दरों का पात्र होने के लिए कोई अन्य दस्तावेज अपेक्षित नहीं होगा ।

(iii). कार्गो संबंधी प्रभारों (सीआरसी) की तटीय रियायती दरों पर वसूली के लिए मानदंड

(i) 'वैश्विक और तटीय' प्रचालन के लिए जारी सामान्य कारोबारी व्यापारिक लाइसेंसधारी भारतीय ध्वज के विदेशगामी पोत के लिए, पोत से तट और क्वे से भंडारण यार्ड/को से/ के लिए घाट भाड़ा सहित, प्रहस्तन कार्य हेतु तटीय दरें, निम्नलिखित के परिप्रक्ष्य में लागू की जाएंगी:

(क). तटीय धावक में परिवर्तित और किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए तटीय कार्गो ले जाने वाला पोत।

(ख). तटीय चालन में परिवर्तित नहीं* परंतु किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन को तटीय कार्गो ले जाने वाला पोत।

*केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के परिपत्र सं. 15/2002-कस्टम दिनांक 25 फरवरी 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज वाले विदेशगामी पोत द्वारा, बिना किसी सीमा शुल्क परिवर्तन के एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तटीय कार्गो का वहन अनुमत्त है।

(ii). तटीय चालन के रुप में परिवर्तित विदेशी ध्वज वाले पोत के मामलों में, पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा जारी विशिष्ट अवधि के लिए लाईसेंस और सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर, तैयार किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए संचलन हेतु तटीय कार्गो कंटेनर के लिए तटीय दरें लागू /पर कार्गो भारित कंटेनर होंगी।

(iii). सामान्य कारोबारियों के किसी व्यापारिक लाइसेंस धारी भारतीय ध्वज के पोत का सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन के रूप में परिवर्तन हो सकता है। प्रथम पत्तन पर सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन के रुप में परिवर्तित किए जाने वाले पोत को भारतीय तट पर चलन के लिए, आगे सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv). (i). पोत संबंधी प्रभार पोत स्वामियों स्टीमर एजेंटों पर लगाए जाएंगे जो अमेरिकी डालर में होंगी, वे समय समय पर, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इससे संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक द्वारा अधिसूचित बाजार क्रय दर के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के भारतीय मुद्रा में विनिमय करके वसूल की जाएंगी। पोत के पत्तन की सीमा में प्रवेश करने की तिथि ऐसे विनिमय का दिन मानी जाएगी।

(ii). डॉलर में उल्लेखित कंटेनर संबंधी प्रभार, आयातित कंटेनरों की स्थिति में पोत के पत्तन में प्रवेश तिथि और निर्यात किए जाने वाले कंटेनरों के मामले में कंटेनरों के पत्तन में आने की तिथि से भारतीय मुद्रा रूपयों में वसूल किए जाएंगे।

(iii). डॉलर के रुपयों में परिवर्तन के ऐसे मामलों में, आयातित कंटेनरों की उत्तरायी और उसके पश्चात लदान के लिए निर्यात कंटेनरों के लिए, पोत के पत्तन में प्रवेश की तिथि मान्य होगी ।

(v) पोत के पत्तन में पहुंचने के दिन से अधिक रुकने पर विनिमय दरों की 30 दिन में एक बार नियमित तौर पर समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों मे बिल बनाने का आधार समीक्षा के समय प्रचलित विनिमय दर के अनुरुप कर दिया जाएगा।

(vi). (क) सभी तटीय पोतों के लिए बर्थ किराया प्रभार अन्य पोतों के लिए समतुल्य प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ख). तापीय कोयला, क्रूड आयल सहित पीओएल, लौह अयस्क व लौह अयस्क के पल्लों के सिवाय सभी तटीय कार्गो के कार्गो संबंधी प्रभार, सामान्य कार्गो संबंधी प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ग). कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में पोत तट स्थानान्तरण और क्वे से/को भंडारण यार्ड को/से प्रभारों हेतु वार्फेज सहित सभी संबंधित प्रहस्तांतरण कार्यों के लिए रियायती दरें प्रभार्य होंगी।

(घ). कंटेनर संबंधी प्रभारों के मामलों में रियायत, कंपोजिट बाक्स दरों के अनुसार लागू है। जहां प्रभार मदवार लागू हैं वहां यह रियायत पोत तट स्थानांतरण क्वे से/को भंडारण यार्ड से/को तथा कार्गो और कंटेनर पर घाट भाड़ा संबंधी सभी प्रभारों पर लागू होगी ।

(ङ). विदेशी पत्तन का एक कार्गो से पत्तन 'ख' पर अनुवर्ती पोतांरण हेतु पत्तन 'क' पर पहुंचने पर, उसके लिए तटीय चलन से प्रासंगिक रियायती प्रभार लागू होंगे। अन्य शब्दों में, उन पोतों को भारतीय पत्तन से कार्गो ले जाने/लाने के लिए तटीय चलन की अनुमति होगी और वे रियायत के पात्र होंगे

(च). तटीय कार्गो/कंटेनरों/पोतों के लिए प्रभार भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित और संग्रहीत किया जाएगा।

(vii). पत्तन पर ऐसे पोत जिनके लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रयोजनार्थ आईजीएम और/या ईजीएम दर्ज की जाती है उन्हें कार्गो नहीं मानना चाहिए और वे केवल ढुलाई/परिवहन का साधन हैं तथा पत्तन को ऐसे पोतों पर घाट भाड़ा नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पोत स्थानीय परिवहन से संबंधित होते हैं कार्गो नहीं।

(viii). (क) इन दरमानों का, प्राधिकरण द्वारा घोषित शतप्रतिशत वार्षिक थोक मूल्य सूचकांकन 01 मई, 2020 से होगा बशर्ते कार्य निष्पादन मानक अधिसूचित दरमानों सहित, वीपीटी द्वारा पूरे किए गए हों। इन दरमानों में निर्धारित कार्य निष्पादन मानक पूरे न किए जाने की स्थिति में उस विशेष वर्ष के लिए दरमानों में सूचकांकन नहीं किया जाएगा।

(ख). पत्तन, प्रचालक द्वारा 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक प्रतिवर्ष प्राप्त कार्य निष्पादन मानकों को, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिसूचित कार्य निष्पादन मानकों को संबंधित उपयोक्ता व प्राधिकरण को कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर घोषित करेगा। पत्तन द्वारा ये कार्य निष्पादन मानक पूरे किए जाने पर दरमानों के प्राधिकरण द्वारा घेाषित थोक मूल्य सूचकांक 100 प्रतिशत दर से दरमानों में स्वत: सूचकांकित कर दिया जाएगा तथा प्रासंगिक वर्ष की प्रथम मई से सूचकांकित दरमान लागू हो जाएंगे। पत्तन, वीपीटी द्वारा सूचकांकित दरमान संबंधित उपयोक्ता तथा प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(ix). विलंबित अदायगियों पर दंडक ब्याज

(क). उपयोक्ता, इन दरमानों के तहत विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा ।जिस दिन से दंडात्मक ब्याज लगना शुरु होगा उसी दिन से 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाएगा ।

(ख). उसी प्रकार, पत्तन विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। जिस दिन से दंडात्मक ब्याज लगना शुरु होगा उसी दिन से 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाएगा ।

(ग). धन वापसी में देरी, सेवाओं के पूरा होने के या उपभोगकर्ताओं से सभी जरूरी दस्तावेजों को लेने के 20 दिन बाद, जो कोई भी बाद में हो, संगणित किया जायेगा।

(घ). उपभोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब की गिनती, पत्तन न्यास द्वारा बिल के पेश करने की तिथि से 10 दिन बाद से आरंभ हो जाएगी लेकिन यह प्रावधान उन स्थितियों में लागू नहीं होगा जिनमें महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अनुसार प्रभार का भुगतान सेवाएं लेने से पहले/पत्तन की संपत्ति का प्रयोग और/या इन दरमानों में प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने का उल्लेख, दरमानों की शर्त के रुप में किया गया है।

(x). देयताओं की गणना के लिए परिमापन हेतु भार की इकाई 1 टन या 1000 किलोग्राम, आयतन के लिए एक घन मीटर और द्रव्यों के अधिक परिमाण हेतु मापन इकाई 1000 लिटर होगी ।

(xi). समग्र /कुल भार के परिमापन या किसी एक मद के परिमाण के लिए 0.5 तक का भिन्नात्मक अंश 0.5 इकाई माना जाएगा और 0.5 इकाई या और उससे अधिक अंश को पूरा एक इकाई माना जाएगा, बशर्ते अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

(xii). बिल में संगणित सभी प्रभार प्रत्येक बिल के कुल योग पर अगले उच्च रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा।

(xiii). यदि वापिसी योग्य राशि रू. 100 से कम होती है तो यह वापिसी नहीं की जाएगी। यह रू. 100 की सीमा कम प्रभारों के लिए अनुपूरक दावों के लिए भी लागू होगी।

(xiv). पोत, उपकरण प्लांट को क्षति होने की स्थिति में (उपयोक्ता) प्रचालक, पत्तन द्वारा आकलित क्षति संबंधी सभी प्रभार अनुमानित मांग राशि जमा कराएगा जिसके पूरे भुगतान संबंधी अन्तिम निर्णय बाद में वास्तविक प्रभार निर्धारित करने पर लिया जाएगा। कुल क्षति की स्थिति में, प्रचालक खातों में दर्ज मुल्य या क्राफट या उपकरण या पत्तन की संपत्ति का बाजार भाव, जो भी अधिकतम हो, जमा कराएगा। पत्तन, बीमा कंपनी को प्रस्तुत दावे से प्राप्त नुकसान की राशि उस प्रचालक को वापस करेगा जिससे क्षति की लागत वसूल की गई थी ।

(xv). (क) दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम सीमा स्तर है, इसी प्रकार रियायतें और छूट निम्नतम स्तरों पर हैं। पत्तन न्यास अगर यह चाहे तो निम्न दरों पर चार्ज कर सकता है या उच्च छूट की अनुमति दे सकता है।

(ख). पत्तन न्यास दरमानों में निर्धारित दरों के इस्तेमाल को शासित करने वाली निर्धारित शर्तो को अगर चाहे तो तर्कसंगत कर सकता है, अगर यह तर्कसंगति प्रति यूनिट दर में उपभोक्ता को राहत देती है व दरमानों में निर्धारित यूनिट दरें उपरी सीमा को पार नहीं करती।

(ग). यह इस शर्त पर है टर्मिनल प्रचालक इस प्रकार की कमतर दरें और या ऐसी दरों के लागू करने को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करेगा/और इस प्रकार की निम्नतर या ऐसी कमतर दरों को लागू किए जाने और/बाद में किए जाने वाले परिवर्तनों को शासित करने वाली शर्तें सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करता रहेगा, बशर्ते कि निर्धारित की गई नई दरें, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों से ज्यादा न हों।

(xvi). दरमानों में उल्लिखित दरें केवल पत्तन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए हैं। किसी अन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत नहीं आती हैं।

(xvii). पत्तन की सीमाओं में आने वाले प्रत्येक सामान पर आयात प्रक्रिया अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा तथा उसे हटाए जाने से पूर्व शुल्क का भुगतान करना होगा।

(xviii). पोत पर लदान से पूर्व सभी सामान निर्यात प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा तथा निर्यात से पूर्व शुल्क का भुगतान करना होगा।

(xix). पोतांतरण का अभिप्राय कार्गो का एक पोत से अन्य पोत पर सीधे स्थानांतरण या एक पोत से उतारे गए कार्गो को अन्य पत्तन पर भेजने के लिए दूसरे पोत पर लदान करने से है।

(xx). 'लाईटरेज'का अर्थ है कार्गो को आगामी वितरण के लिए एक पोत से दूसरे पोत/क्राफ्ट/बार्ज पर सीधे स्थानांतरित करना।.

(xxi). तार्किक स्तर के ऐसे विलंबों के लिए, जिनके लिए उपयोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सके, उपयोक्ता द्वारा प्रभारों का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा ।

(xxii). पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. पीटी-11033/51/2014-पीटी दिनांक 04 सितंबर 2014 के अंतर्गत जारी महापत्तन न्यासों पर तटीय पोतों को बर्थिंग प्राथमिकता देने के लिए दिशानिर्देश:

(क) "तटीय पोत" का अर्थ है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला, भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से से किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में, विशेष रुप से लगाया गया पोत होगा।

(ख). कार्गो के मूल और अंतिम गन्तव्य स्थान का संदर्भ न लेते हुए महापत्तन न्यासों द्वारा शुष्क बल्क/सामान्य कार्गो एक पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन को रवाना करने के लिए तटीय पोत को पोतांतरण हेतु कम से कम एक बर्थिंग की प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा महापत्तनों में पहले से मैजूद तटीय तापीय कोयला प्रहस्तन के लिए समर्पित (विशेष) बर्थ के अतिरिक्त किया जाएगा।

(ग). सभी महापत्तन न्यास, रियायत करारों और निजी टर्मिनलों पर विंडो बर्थिंग के लिए मौजूदा आबंटित और पत्तनों द्वारा प्रचालित कंटेनर बर्थों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, तटीय कंटेनर पोतों के लिए विशिष्ट विंडो के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी।

(घ). पीओएल/लिक्विड कार्गो टेंकरों के संबंध में ऐसी प्राथमिकताओं के लिए, विभिन्न पत्तनों में प्रचलित पद्धतियां अपनायी जा सकती हैं।

(ङ). प्राथमिकता प्रदत्त तटीय पोतों को बर्थिंग प्राथमिकता प्रभार नहीं देना होगा।

(च). यदि वह पत्तन की सामान्य बर्थिंग नीति के अंतर्गत पात्र है तो प्राथमिकता के आधार पर बर्थ में लगाए गए तटीय पोत के अतिरिक्त तटीय पोत की बर्थिंग पर कोई प्रतिबंध नही होगा।

(छ). तटीय पोत प्राथमिकता के आधार पर बर्थ में लगाया गया हो अथवा नही, उसे तटीय दरों के आधार पर पत्तन के प्रभार अदा करने होंगे।

(ज). पत्तन को विशेष बर्थ भंडारण क्षेत्र और सीमा शुल्क प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर गेट लगाने की संभावनाएं तलाशनी होंगी ताकि तटीय कार्गों के संचलन के लिए और अधिक सुविधाएं दी जा सकें ।

(झ). महापत्तन ऐसी समय सीमा नियत करेंगे जिसमें एक तटीय पोत एक विशेष पत्तन में बर्थ में खड़ा किया जा सकेगा। यह समय सीमा कार्गो और बर्थ की किस्म पर निर्भर करेगी। प्रत्येक महापत्तन इस संबंध में गहन अध्ययन करेंगे तथा कार्य व्यापार के संबंध में स्पष्ट सूचना जारी करेंगे जिसके अनुसार तटीय पोतों को नियत समय सीमा में बर्थ दे दी जाएगी। जहां तक विशिष्ट विंडो के माध्यम से तटीय पोतों को प्राथमिक बर्थिंग देने का संबंध है, महापत्तन पीपीपी प्रचालकों से चर्चा करेंगे और तटीय कंटेनर पोतों के लिए विशिष्ट विंडो का प्रकाशन करेंगे। उपर्युक्त कार्रवाई और प्रकाशन की कार्रवाई, इन दिशानिर्देशों के जारी करने के 30 दिन के भीतर पूरी हो जारी चाहिए ।

(ञ). पत्तन में एमआईएस तटीय व विदेशी पोतों/कार्गो से संबंधित आंकड़े रखेंगे। यह डाटा मॉनीटर किया जाएगा तथा पत्तन में आंतरिक तौर पर, व आईपीए और मंत्रालय को तटीय और विदेशी पोतों के लिए, पृथक पृथक फार्म में सूचित किया जाएगा

(xxiii). पत्तन में भीड़ भाड़ कम करने और निर्यातको व आयातकों को नियमित घंटों के बाद पत्तन की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पोत एवं कार्गो संबंधी निम्न तक प्रभार लगाए जाएगें तथा नियमित घंटों के बाद सेवाओं के प्रयोग के लिए प्रभारों में विशेष छूट दी जाएगी।

[यह शर्त, एमओएस के पत्र सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी-V दिनांक 03 फरवरी, 2016 के अनुसरण में, जिसके आधार पर प्राधिकरण का सामान्य अंगीकरण आदेश संख्या टीएएमपी/14/2016 विविध दिनांक 16 फरवरी 2016 को अनुमोदित किया गया है, शामिल की गई है।]

(xxiv). (क). भारत-बंगलादेश तटीय पोत परिवहन करार के परिचालन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के खंड के अनुसार, भारत और बंगलादेश के बीच तटीय पोत परिवहन करार के अधीन बंगलादेश से भारत में प्रवेश करने वाले पोत विदेशगामी (एफजी) पोत नहीं माने जाते हैं।

(ख). पत्तन तथा अन्य प्रभार

(i). दो देशों और अंतर देशीय व्यापार में संलिप्त के बीच तटीय पोत परिवहन करार के अधीन भारत में बंगलादेश गणतंत्र के पोतों के प्रवेश पर प्रभार्य पत्तन देयताएं तटीय पोत परिवहन में संलिप्त घरेलू पोत माने जाएंगे ना कि विदेशगामी (एफजी) पोत।

(ii). तटीय पोतों से प्रभारित के बराबर संरक्षणता, पाइलटेज तथा अन्य विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार बंगलादेश गणतंत्र के पोतों पर प्रभार्य होगा। प्रभार तटीय पोत परिवहन में संलिप्त तटीय पोत पर यथा लागू पोतों की कार्गो ढुलाई क्षमता के संदर्भ में निर्धारित किए जाएंगे।

खंड – 2
पोत संबंधी प्रभार

2.1. पत्तन को देय

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	दर प्रति जीआरटी		उसी पोत के संबंध में भुगतान की आवृति
			विदेशगामी पोत [अमेरिकी $ में]	तटीय पोत (रूपयों में)	
1.	सभी वर्ग के पोत	जीआरटी	0.4148	11.09	पत्तन में प्रवेश करने पर प्रत्येक बार देय
2.	कच्चे तेल अथवा पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी सहित, की ढुलाई करने वाले वाहन	जीआरटी	0.4289	11.46	पत्तन में प्रवेश करने पर प्रत्येक बार देय

क्रम सं.	विवरण	रियायत /छूट
1.	बैलास्ट में पत्तन में प्रवेश करने वाला यात्री-रहित पोत	25%
2.	कार्गो अथवा यात्रियों का लेन-देन का किए बिना पत्तन में प्रवेश करने वाला पोत (मरम्मत कार्यों के लिए ऐसे उत्तरायी या पुन: लदान के अपवाद को छोड़ कर)	50%
3.	(i). किसी विदेशी राजकुमार या राज्य से संबंधित युद्ध का कोई पोत। (ii). कोई ऐसा पोत जिसने पत्तन को छोड़ दिया हो और मौसम या किसी क्षति के कारण पत्तन में पुन: प्रवेश करने के लिए विवश हो; (iii). केन्द्रीय या राज्य सरकार से संबंधित या केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत्त कोई पोत (iv). चक्रवात के डर के कारण पत्तन सीमाएं छोड़ने तथा पुन: प्रवेश करने वाला कोई पोत	100%
4.	पोत द्वारा पत्तन को देय भुगतान कर देने के पश्चात, हैच की सफाई, टैंक की धुलाई आदि के लिए लदान कार्य शुरु होने से पूर्व, गमन-अनुमति के बिना पत्तन की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात पुन: प्रवेश करने पर	100%

पत्तन देयताओं में रियायत निम्नलिखित पोतों तक विस्तारित की जाएगी:
टिप्पणियां:

(i). पत्तन को देय अदायगियां पोत के पत्तन में प्रवेश करने पर एक बार लगाई जाएंगी बशर्ते पोत के पड़ाव के दौरान पोत के नाम/एजेंट/मालिक के नाम में परिवर्तन न हो।

(ii). पत्तन की बाहरी सीमा से पत्तन में किसी पोत के प्रवेश करने पर उसे नया (प्रथम) प्रवेश माना जाएगा ।

(iii). पत्तन में पोत के प्रवेश के समय से प्रवेश शुल्क के रुप में पत्तन को देयता, पोत के वर्गीकरण के अनुसार लागू हो जाएगी।

(iv). पृथक वृथक ब्लॉस्ट वाले आयल टैंकरों के लिए अंतरराष्ट्रीय भार प्रमाण पत्र में ण्पिणी कालम में जो घटित टन भार दिया जाता है, पत्तन देयता के प्रयोजन से समग्र टन भार के तौर पर माना जाएगा ।

2.1.1. क्रूज पोतों के लिए यातायात:

(क). क्रूज कॉल के लिए समेकित पत्तन प्रभार प्रथम 12 घंटों के विराम के लिए $0.35 प्रति जीआरटी निर्धारित किया गया है। अन्य प्रभार जैसे बर्थ किराया, पत्तन देयताएं, पाइलटेज, यात्री शुल्क आदि प्रभार्य नहीं हैं।

(ख). 12 घंटे से अधिक विराम अवधि के लिए, वीपीटी – एसओआर के अनुसार बर्थ किराया संग्रहीत किया जाएगा।

(ग). उपर्युक्त युक्तिसंगत प्रशुल्क पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. एसडब्ल्यू-15011/2/2016-एमजी दिनांक 3.11.2017 के अनुसार तीन वर्षों की अवधि के लिए परीक्षण आधार पर लागू किए गए हैं और 2.11.2020 तक वैध है।

2.1.2. पत्र सं. एसडब्ल्यू-15011/2/2019-एमजी दिनांक 08.03.2019 के अनुसार **भारत में घरेलू क्रूज पोतों के लिए प्रशुल्क।**

(क). एक वर्ष में 75-100 के बीच आने वाले घरेलू क्रूज पोतों के लिए 40 प्रतिशत की समेकित रियायत और एक वर्ष में 100 से अधिक बार आने वाले घरेलू क्रूज पोतों के लिए 50 प्रतिशत समेकित रियायत।

(ख). उपर्युक्त दोनों रियायतें पाइलट सेवाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित नहीं हैं।

(ग). 12 घंटों से अधिक बर्थ विराम के लिए, वीपीटी एसओआर के अनुसार अतिरिक्त बर्थ किराया लागू किया जाएगा।

ये रियायतें 3.11.2020 तक लागू हैं।

2.2. पाइलटेज शुल्क

पाइलटेज शुल्क समेकित शुल्क है और 'पत्तन सुविधा' के पोतों के स्थानांतरण और पर्याप्त क्षमता की टगों/लांचों की अपेक्षित संख्या के साथ, पत्तन के पाइलट की सेवाओं के साथ एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी संचलन शामिल होगा"।

2.2.1. पोतों के लिए पायलटेज फीस की अनुसूची :

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	दर प्रति जीआरटी	
			विदेशगामी पोत [अमेरिकी $ में]	**तटीय पोत (रूपयों में)**
1.	**सभी पोत**			
	1] 30,000 जीआरटी तक और सहित	जीआरटी	अमेरिकी $ 0.66741	17.84
	2] 30,001 से 60,000 जीआरटी		अमेरिकी $20022 + अमेरिकी $ 0.5339 प्रति जीआरटी 30,000 अधिक जीआरटी	रू. 535200 + रू. 14.27 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक
	3] 60,001 जीआरटी और उससे अधिक		अमेरिकी $ 36040 + अमेरिकी $ 0.4672 प्रति जीआरटी 60,000 से अधिक जीआरटी	रू. 963353+ रू. 12.49 प्रति जीआरटी 60,000 से अधिक जीआरटी
	4] न्यूनतम देय प्रभार		अमेरिकी $ 1904	50901
2.	**क्रूड ऑयल अथवा एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई करने वाले पोत**			
	1] 30,000 जीआरटी तक और सहित	जीआरटी	अमेरिकी $ 0.7028	18.78
	2] 30,001 से 60,000 जीआरटी		अमेरिकी $ 21,084 + अमेरिकी $ 0.5622 प्रति जीआरटी 30,000 अधिक जीआरटी	`563400 + `15.02 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक
	3] 60,001 जीआरटी और उससे अधिक		अमेरिकी $ 37950 + अमेरिकी $ 0.4919 प्रति जीआरटी 60,000 से अधिक जीआरटी	`10,14,000 + `13.15 प्रति जीआरटी 60,000 से अधिक जीआरटी
	4] न्यूनतम देय प्रभार		अमेरिकी $ 2005.20	53,599.20
3.	कोल्ड मूव के मामले में, प्रत्येक कोल्ड मूव के लिए पायलटेज का 25% अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा।			

2.2.2. निम्न पोत पायलटेज फीस में रियायत के पात्र होंगे :

क्रम सं	विवरण	रियायत
1.	तुफान/बाढ़/प्राकृतिक आपदाओं के कारण मार्गो पर स्थानांतरित होने और वापिस आने वाले पोत	50%
2.	पत्तन टग का प्रयोग किए बिना संचलन	55%
3.	एक तरफा पायलटेज सेवाए लेने वाले पोत	50%

टिप्पणी: पायलटेज फीस संबंधी ये रियायतें न्यूनतम प्रभारों पर भी लागू होती हैं।

2.2.3. स्थानांतरण प्रभार

क्रम सं.	विवरण	इकाई	दर प्रति जीआरटी	
			विदेशगामी पोत [अमेरिकी $ में]	तटीय पोत (रूपयों में)
1.	**सभी पोत**			
	i] 30,000 जीआरटी तक और सहित	जीआरटी	अमेरिकी $ 0.2595	रू.6.94
	ii] 30,001 से 60,000 जीआरटी		अमेरिकी $ 7785 + अमेरिकी $ 0.2077 प्रति जीआरटी 30,000 से अधिक जीआरटी	रू. 2,08,200 + रू. 5.55 प्रति जीआरटी 30,000 जीआरटी से अधिक
	iii] 60,001 जीआरटी और उससे अधिक		अमेरिकी $ 14013+ अमेरिकी $ 0.1816 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक	रू. 3,74,700+ रू.. 4.86 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक
2.	कोल्ड मूव के मामले में, स्थानांतरण के दौरान स्थानांतरण प्रभारों का 25% अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा।			

2.2.4. पायलटेज/स्थानांतरण से संबंधित सामान्य टिप्पणियां:

(1). पोत द्वारा बंदरगाह के अन्दर या बन्दरगाह के आन्तरिक भाग से बाहरी भाग या विलोमत: संचलन को, स्थानांतरण माना जाएगा ।

(2). पत्तन की सुविधा के लिए पोत का स्थानरण किए जाने की स्थिति में स्थानांतरण प्रभार नहीं लगाए जाएंगे।

(3). ''पत्तन सुविधा'' को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:
यदि बर्थ पर कार्यरत किसी कार्गो पोत अथवा मूरिंग स्थित किसी पोत को निकर्षण कार्य/जल सर्वेक्षण कार्य अथवा निकर्षण पोत को बर्थ आबंटित करने के अथवा बर्थो की मरम्मत, अनुरक्षण और ऐसे ही समान कार्यो के लिए स्थानांतरण (शिफ्टिंग)/पायलटेज अनिवार्य हो जाती है तो ऐसी शिफ्टिंग को ''पत्तन सुविधा के लिए शिफ्टिंग'' कहा जायेगा। ऐसे शिफ्ट किये गए पोत को पुन: वापस शिफ्ट करने को भी ''पत्तन सुविधा के लिए शिफ्टिंग'' कहा जायेगा।

(क). यदि वर्किंग कार्गो पोत दूसरे बर्थ में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित होता है ताकि एलओए, बीम, आदि के प्रतिबंध के मद्देनजर गोदी में उसी बर्थ अथवा किसी अन्य बर्थ पर दूसरे पोत की बर्थिंग अथवा नौचालन किया जा सके, ऐसे स्थानांतरण को पत्तन सुविधा के लिए स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा।

(ख). जब कभी पोतों को उच्चतर डुबाव के पोत को व्यवस्थित करने के लिए गहरे डुबाव वाले बर्थ से कम डुबाव वाले बर्थ में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता होती है तो ऐसे स्थानांतरण को पत्तन

सुविधा के लिए माना जाएगा और स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित बर्थ पर पोत और बर्थ किए जाने के लिए आने वाले पोत पर स्थानांतरण प्रभार प्रभार्य नहीं होगा। यह केवल पत्तन परिचालित बर्थों के लिए लागू होगा।

(ग). यदि किसी पोत को एचएमसी, बर्थ की मंजूरी आदि सहित पत्तन उपस्कर के ठीक से काम नहीं करने के कारण स्थानांतरित किया जाता है तो इसे पत्तन सुविधा के लिए स्थानांतरण माना जाएगा।

(घ). जब कभी लदाई जारी रखने की सुविधा देने के लिए सीधे अथवा लंगरगाह के माध्यम से कम डुबाव वाले बर्थ से गहरे डुबाव वाले बर्थ में पोतों को स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता होती है तो ऐसा स्थानांतरण पत्तन सुविधा के लिए माना जाएगा। गहरे डुबाव वाले बर्थ की मांग करने वाले पोत पर ऊपर तक लदाई और दूसरे बर्थ में स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित गहरे डुबाव वाले बर्थ में पोत पर भी स्थानांतरण प्रभार प्रभार्य नहीं होगा। ये सभी स्थानांतरण "पत्तन सुविधा" के लिए माने जाते हैं।

(4). किसी अन्य पोत की सुविधा /लाभ के लिए पोत के स्थानान्तरण/पायलटेज के लिए, लाभग्राही पोत को, पोत के स्थानान्तरण पुन: अवस्थित किए जाने से संबंधित प्रभार देने होंगे बशर्ते एक अन्य पोत को स्थानान्तरित करके बर्थ मे लाये जाने वाले पोत को बर्थ में आने/जाने से पूर्व उसकी अतिरिक्त स्थानान्तरण प्रभार की देयता के दायित्व के बारे में सूचित कर दिया गया हो।

(5). पोत का भार प्रथम बार कम किए जाने या लदान पूरा करने के लिए पोत के स्थानान्तरण के लिए लागू प्रभारों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 'लाइटरेज/टाप-अप'के पश्चात सड़क (रोड्स) की ओर प्रथम स्थानान्तरण के लिए 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

(6). स्थानान्तरण के लिए टग्स का प्रयोग न होने की स्थिति में 55 प्रतिशत छूट दी जाएगी ।

(7). टगों से कार्य न हो पाने, अपूर्ण लंबाई, उचित फैंडर्स आदि न होने के परिणामस्वरुप, पोत को अकारण ही संचलन त्यागने या संचलन की दिशा बदलने पर पोत के आबंटित बार्ज/मूरिंग में स्थान ग्रहण करने तक असफल कार्रवाइयों के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(8). यदि पत्तन में पड़ाव के दौरान पोत की स्थिति में 'विदेशगामी' से 'तटीय धावक या विलोमत: परिवर्तन किया जाता है तो समग्र पायलटेज को आधे-आधे दो समान भागों में विभाजित किया जाएगा (अर्थात एक आगम के लिए तथा दूसरा निकास पायलटेज के लिए) जो पोत के प्रासंगिक संचलन पर स्थान लेने के समय की अवस्था के अनुसार प्रभार्य होगा।

(9). उपयुक्त बर्थ न होने के परिणाम स्वरुप यदि पोत कार्गो कार्य पूरा होने के पश्चात उत्तरायी कार्य जारी रखने के लिए या कार्गो लदान के पश्चात लंगर डालने के लिए स्थानांतरण करता है तो ऐसे संचलन "स्थानान्तरण" कहलाएंगे और स्थानांतरण प्रभार प्रभार्य होंगे।

(10). यदि एक टैंकर बंदरगाह के बाहरी भाग में उतरायी/पोतांतरण कार्य के पश्चात डॉटर टैंकर में क्रूड आयल, पीओएल उत्पाद के लदान के लिए डॉटर टैंकर के तौर पर नामित किया जाता है और अपेक्षित कार्रवाई के लिए उसका बर्थ में पुन: आना आवश्यक है तो ऐसी कार्रवाई को केवल स्थानांतरण कहा जाएगा।

(11). यदि कोई टैंकर क्रूड आयल लेने के पश्चात लंगर डालने के लिए स्थानांतरण करता है और क्रूड आयल, पीओएल उत्पाद के पोतांतरण या उतराई कार्य के लिए बंदरगाह में पुन: प्रवेश करता है तो ऐसी कार्रवाई या संचलन को केवल स्थानांतरण माना जाएगा।

(12). इसी प्रकार, यदि कोई टैंकर कार्गो के अंशिक रुप से निकाले जाने/पोतांतरण (क्रूड आयल/पीओएल उत्पाद) लंगर डालने के लिए स्थानांतरित किया जाता है तथा बंदरगाह के आंतरिक/बाहरी भाग में पोतांतरण, निष्कासन कार्यों के लिए वापस लाया जाता है तो इसे स्थानांतरण माना जाएगा। यदि टैंकर मरम्मत या खराब निष्पादन के लिए 'मार्गों' को प्रेषित किया जाता है तो यह प्रस्तावित प्रावधान लागू नहीं होगा।

(13). हॉट संचलन की प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई पोत 5 मिनट से अनाधिक के दौरान अपनी पूर्ण शक्ति देने में विफल रहता है तो इसे कोल्ड मूव नहीं माना जाएगा।

2.2.5. **पायलट के पोत पर आ जाने के पश्चात यदि आधे घंटे के समय में पोत संचलन के लिए तैयार नहीं है तो निम्नानुसार 'संरोध'प्रभार'लगाया जाएगा:**

क्रम सं.	विवरण	विदेशगामी पोत [अमेरिकी $ में]	तटीय पोत [रू. में]
1.	आगम और निर्गम संचलन के लिए प्रथम आधा घंटा	नि:शुल्क	नि:शुल्क
2.	तत्पश्चात उसके प्रत्येक आधे घंटे के एक घटक या उसके अंश के लिए।	574.69	15361.60
3.	आगम/निर्गम के लिए संचलन के लिए तैयार पोत के कार्यक्रम का रद्दीकरण - संरोध प्रभार के अतिरिक्त लगाए जाने वाले प्रभार	1724.08	46084.66
4.	पायलेट के लिए फीस*:* पायलेट, प्रस्थान के लिए आबद्ध पोत, को यदि समुद्र में ले जाते है।	226.85	6063.77

टिप्पणी: ऊपर क्रम सं. (4) पर निर्धारित प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त पोत के मालिक को पोत पायलेट लेने और उसे पत्तन पर वापिस भेजने का खर्च वहन करना होगा।

2.3.*बर्थ किराया*:

2.3.1 प्रशुल्क			
क्रम सं.	**विवरण**	**दर प्रति जीआरटी या उसका कोई भाग**	
		विदेशगामी पोत [अमेरिकी $ में]	**तटीय पोत [रू. में]**
1.	**लौह अयस्क और पल्ले *(*मैकेनिकल*.)***		
	42000 जीआरटी तक	0.01685	0.4505
	42000 जीआरटी से ऊपर	0.00799 (न्यूनतम 707.85 अमेरिकी डालर)	0.2135 (न्यूनतम रू.. 18920.74)
2.	क्रूड ऑयल अथवा एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की ढूलाई करने वाले पोत		
	30000 जीआरटी तक	0.00276	0.0737
	30000 जीआरटी से अधिक	0.00367	0.0982
3.	**अवशिष्ट श्रेणी**		
	***(i).* क्रेन बर्थ**		
	- 30000 जीआरटी तक	0.00659	0.1762
	- 30000 *जीआरटी से अधिक*	0.00887	0.2370
	***(ii).* क्रेन रहित बर्थ**		
	- 30000 **जीआरटी तक**	0.00267	0.0714
	- 30000 जीआरटी से अधिक	0.00355	0.0949
4.	विशापत्तनम हार्बर क्राफ्ट नियमों के अंतर्गत पत्तन जलक्षेत्र में प्रचालन करने वाले पोतों (कार्यपरक नावों सहित*)* के लिए	लागू नहीं	0.2437
		दर रूपये में प्रति दिन प्रति पोत	

5.	एचएसएल जैट्टी/मूरिंग पर निर्माणाधीन पोतों के लिए	3 माह तक रू. 1462 4थे माह से आगे रू. 1219

2.3.2. निम्न मामलों में बर्थ किरायों में रियायत/छूट दी जाएगी:

विवरण	रियायत
(क). पत्तन के जलीय क्षेत्र में हिंदुस्तान शिपयार्ड जेट्टी, जेट्टी के साथ ड्रेज़र, या किसी भी जेट्टी, या मूरिंग पर बर्थिंग में लगाए गए पोत (मछली पकड़ बंदरगाह के सिवाय) या पहले से बर्थ/मूरिंग/जेट्टी में लगाए गए एक अन्य पोत के साथ लगाए गए पोत	लौह अयस्क/पल्ले(यंत्रीकृत) और पीओएल पोत =लागू बर्थ किराया का 50%। **अवशिष्ट श्रेणी के लिए** = *बिना - क्रेन वाली बर्थ के किराए का* 50%

2.3.3. <u>दंड (जुर्माना)</u>

(1) कम कार्यनिष्पादन के लिए

(i). लौह अयस्क और पल्ले के मशीनों द्वारा लदान के मामलों में पोत अथवा लदानकर्ताओं की निम्न कारणों से विफलता के परिणाम स्वरुप लदान कार्य न होने की स्थिति में निरर्थक अवधियों के लिए संबंधित पक्षों पर दंड लगाया जाएगा।

(क). 6 *घंटे (छः घंटे) से अधिक समय जल का डी ब्लास्ट करने पर।*

(ख). लदान के लिए हैचों का तैयार न होना/सफाई का न होना/कार्गो का न होना आदि।

(ii). यह दंड लागू बर्थ किराया के समतुल्य होगा और सामान्य बर्थ किराया प्रभार के अतिरिक्त प्रभार्य होगा।

(iii) यदि पोत की पड़ाव अवधि, निष्पादन के लिए निर्धारित मानकों से, 4 (चार) घंटों से अधिक हो जाती है तो दो गुणा दंड लगाया जाएगा।

(2) <u>पोत के निर्धारित समय से अधिक पड़ाव के लिए,</u>

(i). पोतों के बर्थ में नीचे (ii) पर उल्लिखित निर्धारित अवधियों से अधिक समय के लिए बंदरगाह में रुकने पर बर्थ किराया प्रभार के अतिरिक्त लागू बर्थ किराए के समतुल्य दंडात्मक बर्थ किराया लिया जाएगा। बशर्ते बर्थ मांग आ गई हो और बीपीटी या इसके प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा लदान/पोतरांतरण कार्य पूरा होने के 10 घंटे पूर्व नोटिस दे दिया गया हो।

(ii). अधोलिखित अवधि के लिए दंड के बिना कार्गो संबंधी कार्रवाई करने के पश्चात पोत को बर्थ में प्रवेश करने की अनुमति होगी: —

(क)	कोई भी पोत जिसे सुरक्षा चाहिए	10 घंटे
(ख)	धुआं और जड़ता अपेक्षित खाद्यान्न वाले पोत	10 *घंटे*
(ग)	बार्जों के माध्यम से बंकर लेने वाले पोत	08 घंटे
(घ)	बार्जों के माध्यम से पानी लेने वाले पोत [पोतों के साथ बार्जों के स्थापित किए जाने के समय से]	12 घंटे
(ङ)	बार्जों के सिवाय अन्य स्रोतों से पानी/बंकर लेने वाले पोत	08 घंटे
(च)	अन्य सभी मामलों में	04 घंटे

(iii). यदि 2.3.3.(2)(i) के अनुसार दंडात्मक बर्थ किराया लगाने के उपरांत पोत का पड़ाव 15 दिन से अधिक हो जाता है तो ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए दंडात्मक किराया, सामान्य बर्थ किराया का 5 गुणा प्रभार्य होगा।

2.3.4. बर्थ किराया से संबंधित सामान्य नोट :

(1). बर्थ किराया, पोत द्वारा बर्थ ग्रहण करने के समय से बर्थ खाली करने के समय तक लगाया जाएगा।

(2). (i). बर्थ किराया लागू होने की निश्चित समय सीमा होगी तथा बर्थ किराया, पोत द्वारा नौचालन का संकेत देने के 4 घंटे के पश्चात बर्थ किराया बंद कर दिया जाएगा ।

(ii). बर्थ किराया समाप्ति की चार घंटे की समय सीमा में से अनुकूल ज्वार स्थितियों के अभाव में अथवा खराब मौसम के कारण अथवा रात्रि नौसंचालन सुविधाओं की कमी के कारण लगे समय को जलयान के प्रतीक्षा समय में शामिल नहीं किया जायेगा।

(iii). पोत का मालिक/एजेंट, केवल अनुकूल ज्वारीय और मौसम की स्थिति के अनुसार, पोत के नौचालन के लिए तैयार होने का संकेत देगा।

(iv). झूठे संकेत के लिए बर्थ किराया जुर्माना एक दिन (24 घंटे) के बर्थ किराया भाड़ा के बराबर होगा। इंजिन तैयार नहीं होने या कार्गो संचालन कार्य पूर्ण नहीं होने या पोत के किसी अन्य कारणवश बर्थ से हटने के लिए तैयार न होने की स्थिति में, संचलन के लिए तैयार होने के बारे में पूछने के लिए दिया गया सिग्नल "झूठा या गलत संकेत" होगा । पोत प्रतिकूल ज्वार, रात्रि नौचालन की कमी या विपरीत मौसम स्थितियों के कारण जलयात्रा नही कर पाने के दौरान के संकेत, तब की तैयारी के संकेतों शामिल नहीं होते हैं।

(3). **बर्हिगमन प्राथमिकता / बर्थ किराया प्राथमिकता:**

(i). किसी भी पोत को बर्हिगमन प्राथमिकता देने के लिए 1 दिन के बरारबर (एक यूनिट=एक एक घंटा के 24 यूनिट) फीस या पोत के बर्थ पर कुल वास्तविक पड़ाव की अवधि के लिए संगणित बर्थ किराया का शत-प्रतिशत जो भी अधिक हो, प्रभारित होगा ।

(ii). किसी भी पोत को बर्थिंग प्राथमिकता देने के लिए 1 दिन के बराबर (एक यूनिट= एक-एक घंटा के 24 यूनिट) फीस या पोत के बर्थ पर कुल वास्तविक पड़ाव की अवधि के लिए संगणित बर्थ किराया का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्रभारित होगा ।

(iii). यदि बर्हिगमन प्राथमिकता के लिए पोत को कार्याधीन लंगर/खाली बर्थ/मूरिंग के लिए स्थानांतरित किया जाता है और कार्याधीन बर्थ में वापस लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पोत का स्थानांतरण/पायलटेज् प्रभार, बर्हिगमन प्राथमिकता प्राप्त पोत पर प्रभार्य होगा।

(iv). कोई कार्याधीन बर्थ, पोत उपलब्ध न होने के कारण खाली हो और प्राथमिकता तथा बर्हिगमन प्राथमिकता वाला पोत उस बर्थ में लगाया जाता है और उससे पूर्व, मार्ग में कोई और पोत प्रतीक्षारत नहीं है या मार्ग में खड़े पोत किसी भी स्थिति में बर्थ पर लगाए जाने के लिए तैयार नहीं हैं (दस्तावेजों के तैयार न होने/कार्गो की कमी/यल्लेज की कमी/हैच की सफाई/उतरायी या लदान कार्य करने वालों का अनिच्छुक होना) तो इसे 'प्राथमिक बर्थिंग' नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में बर्थिंग प्रभार प्रभार्य नहीं होंगे ।

(v). निम्नलिखित श्रेणी के जलयानों को छोड़कर शेष सभी पोतों पर प्राथमिकता/बर्हिगमन प्राथमिकता के लिए उपर्युक्त अनुसार शुल्क प्रभार्य होगा:

(क) रक्षा मंत्रालय के कार्गो ले जाने वाले पोत।

(ख) सदभावना यात्रा पर आने वाले रक्षा पोत।

(ग) सामुद्रिक विकास विभाग के अंटार्टिका अभियान के प्रयोजन के लिए किराए-भाड़े पर लिए गए पोत।

(घ) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त विशेष छूट प्राप्त कोई अन्य पोत।

(ङ) तटीय पोत, जिन्हें बर्थिंग प्राथमिकता दी जाएगी।

(च) विशेष प्राथमिकता के बिना, पत्तन की बर्थिंग प्राथमिकता नीति के अनुसार बर्थ में लगाए गए पोत।

(4). एक घंटे का समय जिसके दौरान पोत का वर्गीकरण परिवर्तित किया जाता है परंतु एक घंटे की प्रत्येक ब्लॉक अवधि के लिए पोत के वर्गीकरण के आधार पर बर्थ किराया लिया जा सकता है।

(5). उस अवधि के लिए बर्थ किराया प्रभार्य नहीं होगा जिसमें पोत पत्तन पर आरोप्य बिजली गुल होने सहित सभी तट क्रेनों/पत्तन उपस्कर की अनुपलब्धता/खराब होने और किन्हीं अन्य कारणों से एक घंटा अथवा उससे अधिक समय के लिए लगातार बर्थ में निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर होता है।

(6). बोर्ड उस अवधि के लिए बर्थ किराये/रोड स्टेड प्रभारों की छूट/माफी पर विचार कर सकता है जिस दौरान पोत डीएलबी/पत्तन/पत्तन कामगारों की किसी श्रेणी द्वारा हड़ताल जैसे कारणों से बर्थ/जेट्टी/मूरिंग/लंगरगाह में प्रतीक्षा करता है/निष्क्रिय रहता है।

(7). ईक्यू-7 में बर्थ किए गए पोतों के लिए बर्थ किराया प्रभार

(क).ईक्यू 7 बर्थ हारबर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) अनिवार्य बर्थ होगा और बर्थ किराये के लिए ''गैर क्रेन बर्थ किराया'' दरें प्रभार्य होंगी।

(ख).ईक्यू-7 में बर्थ किए गए बल्क/ब्रेक बल्क कार्गो के मामले में एचएमसी सेवा लेते हैं, और एचएमसी के खराब होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से, यदि पोत ईएलएल घाट क्रेनों का प्रयोग करते हैं तो ''क्रेन बर्थ किराया'' ईएलएल घाट क्रेन के इस्तेमाल किए गए घंटों के लिए कुल घंटों अथवा उसके भाग के लिए संग्रहीत किया जाएगा।

(ग).ईक्यू 7 में बर्थकिए गए बल्क/ब्रेक बल्क कार्गो पोतों के मामले में, यदि जलयान क्रेनें अथवा एचएमसी अथवा दोनों संपूर्ण कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो ईक्यू-7 में पोतों के कुल विराम के लिए गैर-क्रेन बर्थ किराया प्रभार प्रभार्य होंगे।

(8). जब किसी टैंकर को प्राथमिकता पर ऑयल घाटों में बर्थ किया जाता है और समयानुसार अपना कार्गो प्रहस्तन परिचालन पूरा नहीं करता है तो 100 प्रतिशत बर्थ किराया प्रभारों के समकक्ष जुर्माना बर्थ में विराम के अतिरिक्त घंटों के लिए वसूल किया जाएगा और उसके बिल्कुल अगले पोत के लिए उसी पोतवणिक/प्राप्तकर्ता के लिए प्राथमिकता नहीं मानी जाएगी।

(9). यदि किसी पोत को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु इस आधार पर यह पोत वरिष्ठ होता है, तो वरीयता प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे।

2.3.5. मार्गीय पड़ाव प्रभार

प्राथमिकता के अनुसार बर्थिंग के लिए पहुंचने से पहले, मार्गो पर पहुंच के प्रथम 48 घंटों की छूट देते हुए निम्नानुसार 'रोड स्टेड' प्रभार लगाए जाएंगे ।

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति जीआरटी घंटा या उसका कोई भाग	
		विदेशगामी पोत [अमेरिकी $ में]	तटीय पोत [` में]
1.	प्रथम 48 घंटे	नि:शुल्क	नि:शुल्क
2.	48 घंटे के पश्चात 144 घंटे तक	0.000108	0.0029
3.	145 घंटे से 384 घंटे तक	0.000169	0.0045
4.	385 घंटे के पश्चात	0.001861	0.0497

टिप्पणियां:

1) पोत के तैयार होने की स्थिति पर ध्यान दिए बिना प्रथम आगमन पर बर्थिंग से पहले 48 घंटे तक छूट के साथ रोड्स पर पोत खड़े करने के लिए रोड स्टेड प्रभार प्रभारित नहीं किए जाएंगे।

2) कार्गो प्रहस्तन प्रयोजनों से इतर पत्तन सीमाओं पर पहुंचने वाले पोतों के लिए, वॉटर मरम्मतों आदि के लिए, रोड स्टेड प्रभार किसी नि:शुल्क समय के बिना रोड्स पर पोतों के वास्तविक विराम से प्रभार्य होंगे और लागू दर 384 घंटे तक दूसरा स्लैब और उसके बाद 4थां स्लैब दरें प्रभारित की जाएंगी। बंकरों अर्थात् ''बंकर कॉल'' के लिए आने वाले पोतों को प्रोत्साहित करने के लिए, पहले 48 घंटों तक बंकर पोतों के लिए रोड स्टेड प्रभार लागू होंगे। उसके बाद, उपर्युक्त स्लैब दरों के अनुसार प्रभार लागू होगा।

3) लंगर स्थान/बर्थो पर पीओएल के पोतांतरण के लिए 'मदर/'डॉटर टैंकर पर कोई मार्गीय पड़ाव प्रभार प्रभार्य नहीं होगा।

4) लदाई परिचालन करने के लिए रोड्स पर उतराई पुन:-लंगर डालना/स्थानांतरण के पूरा होने के बाद आयात पोत

के मामले में, 384 घंटे तक 2रीं स्लैब दर के अनुसार रोड स्टेड प्रभार पुन:-लंगर डालना/स्थानांतरण के समय से लागू है और उसके बाद 4थीं स्लैब दरें वसूल की जाएंगी।

5) कार्गो की मांग के लिए लदाई/उतराई/कार्गो उतारने के लिए स्थान की अनुपलब्धता के लिए रोड्स पर स्थानांतरित पोत, खराब प्रदर्शन के कारण स्थानांतरण अथवा संबद्ध स्टीमर एजेंट् के अनुरोध के कारण स्थानांतरण, उपर्युक्त अनुसूचित दरों के स्लैब-4 पर दरें पुन:-लंगर डालना/स्थानांतरण से तैयार होने तक वसूल की जाएंगी।

6) पोतों को पत्तन बर्थिंग नीति के अनुसार रोड्स पर आस्टिंग वरीयता पोत व्यवस्थित करने के लिए स्थानांतरित/ऑस्टिड किया जाता है, 384 घंटे तक उनके स्थानांतरण/आस्टिंग से रोड्स तक उपर्युक्त अनुसूची के स्लैब-2 के अनुसार रोड स्टेड प्रभार लगेंगे, और उसके बाद स्लैब-4 की दरें लागू होंगी। रोड स्टेड प्रभार उस पोत से संग्रहीत किए जाएंगे जिसे रोड्स पर स्थानांतरित किया जाता है परंतु उस पोत से नहीं जो आस्टिंग वरीयता पर बर्थ किया गया था।

7) आपातकालीन/चक्रवातीय परिस्थिति के कारण स्थानांतरित पोतों पर स्लैब दरों के अनुसार रोड स्टेड प्रभार लगेंगे।

8) जब कभी पोत को रोड्स पर स्थानांतरित किया जाता है और ऊपर तक लदाई अथवा उतराई के लिए दूसरे बर्थ में जाता है, रोड्स पर रूके पोत से 384 घंटे तक इसके रोड्स पर स्थानांतरण के समय से दूसरे स्लैब पर दरें प्रभारित की जाएंगी और उसके बाद स्लैब 4 पर दरें लागू की जाएंगी।

9) एक बार जब पोत को पत्तन से नौचालित किया जाता है, किसी कारण से, दूसरे स्लैब पर कोई भी दरें हों, 384 घंटे तक वसूल किए जाएंगे और उसके बाद स्लैब 4 पर दरें वसूल की जाएंगी।

10) उपर्युक्त स्लैब में उल्लिखित दर बर्थ(बर्थों) की उपलब्धता/अनुपलब्धता पर ध्यान दिए बिना लागू की जाएगी।

2.3.6 एसपीएम पर प्रशुल्क

क्र.सं.	पोत संबंधी प्रभार	विदेशी [अमेरिकी $ में]	तटीय [रू. में]	टिप्पणियां
1)	बाहरी बंदरगाह में प्रवेश करने वाले पोत द्वारा पत्तन देयता (दर प्रति जीआरटी)	0.4423	11.84	पोत के प्रवेश पर पत्येक बार, पोत की जीआरटी पर आधारित एकमुश्त भुगतान
2)	**पायलटेज**			
	क) 30001 और उससे अधिक जीआरटी वाले पोत (दर प्रति जीआरटी)	0.70	18.56	एक बार आगमन और एक बर्हिगमन संचलन के लिए पोत की जीआरटी पर आधारित एकमुश्त भुगतान
	ख) पोत पर प्रथम पायलट के रुकने पर	12.56	842.40	एसपीएम पर पोत के रुकने के लिए प्रति घंटा या उसका कोई भाग
3)	मूरिंग /बर्थिंग प्रभार	163.70	7,293.60	प्रत्येक कार्रवाई के लिए एक बार
4)	मूरिंग/बर्थिंग से हटाने के प्रभार	163.70	7,293.60	प्रत्येक कार्रवाई के लिए एक बार
5)	टग प्रभार	620.537	16,586.71	प्रति घंटा या उसका कोई भाग बशर्ते न्यूनतम दो घंटे

6)	लंगर-प्रभार प्रति जीआरटी	0.0019	0.048	एसपीएम पर पोत के रुकने के लिए प्रति घंटा, प्रति जीआरटी प्रभार
7)	वीपीटी टग उपयोग के लिए (जलयान चालकों के लिए भत्ते और भुगतान और जलपान)	208.837	9,303.60	8 घंटे की प्रति पारी

टिप्पणी : स्थानांतरण प्रभार एसपीएम, ओएसटीटी और लंगरगाह पर भी से/को स्थानांतरित पोतों और बर्थों से इतर अन्य परिचालन के लिए संग्रहीत किए जाएंगे।

खंड – 3

क्रूड आयल/पीओएल उत्पादों का शुष्क बल्क कार्गो के पोतांतरण/उतरायी के समेकित प्रभार

3.1. बाह्य बंदरगाह में पोतांतरण/क्रूड आयल/पीओएल उत्पादों का शुष्क बल्क कार्गो की उतरायी के समेकित प्रभार

क्रम सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)
1.	'मदर'पोत से क्रूड आयल के पोतांतरण/उतरायी के लिए समेकित प्रभार	'मदर पोत की प्रति पुकार	6.73 लाख
2.	'मदर'पोत से पीओएल उत्पादों के पोतांतरण/उतरायी के लिए समेकित प्रभार	'मदर पोत की प्रति पुकार	5.54 लाख
3.	कार्गो के डॉटर टैंकर को पोतरांतरित/उतारे गए और बिना पत्तन पर लाये अन्य पत्तनों को ले जाए गए कार्गो पर घाट- भाड़ा प्रभार।	प्रति कि. लिटर	13.45
4.	डॉटर टैंकर प्रभारों का भुगतान, अधिसूचित दरों के अनुसार करेंगे।		
5.	किन्हीं अन्य विशिष्ट सेवाओं जैसे जल, लांच आदि की आपूर्ति के लिए, प्रभार यथा लागू प्रभार्य होंगे।		

टिप्पणियां:

(1). मूलतया मदर टैंकर पर उतारे गये और बाद में उसी पुकार के अंतर्गत एक अन्य टैंकर पर क्रूड आयल/पीओएल उत्पादन के पोतांतरित करने के लिए रु. 2.00 प्रति कि. लिटर की दर से दूसरे तत्पाश्चातिक पोतांतरणों/उतरायी के लिए भी घाट-भाड़ा प्रभार लगाया जाएगा।

(2). समेकित प्रभारों में पत्तन देयता, पायलटेज शुल्क, बर्थ भाड़ा, फायर फलोट और रु. 2 प्रति कि. लिटर की दर से घाट भाड़ा प्रभार शामिल हैं।

(3). यदि मदर पोत क्रूड आयल/पीओएल उत्पादों का कुछ भाग डॉटर पोत और शेष अन्य भाग पत्तन में उतारता/पोतांतरित करता है या कार्य इसके विलोमत: किया जाता है तो डॉटर पोत समेकित प्रभारों की बजाए वीपीटी के दरमानों में उल्लेखित /निर्धारित अधिसूचित दरों के अनुसार पत्तन देयता, पायलटेज शुल्क और बर्थ भाड़ा प्रभार का भुगतान करेगा।

समेकित प्रभारों में उल्लेखित रु. 2 प्रति किलो लिटर के घाट भाड़ा डॉटर पोत पर भी पोतांतरित/उतारी गई मात्रा के लिए देय होगा।

(4). यदि मदर पोत ही बाद में डॉटर पोत में परिवर्तित हो जाता है तो मूलत: लिए गए समेकित प्रभार,लागू अधिसूचित दरों के अनुसार पत्तन देयता, पायलटेज शुल्क, घाट-भाड़ा और बर्थ किराया प्रभार समंजित करके प्रभार्य होंगे।

(5). फैंडर्स तैयार करने, पत्तन में किसी भी स्थान से मदर/डॉटर पोत तक फैंडरों के स्थानातरण/-(पत्तनसे संबंधि/तेल उद्योग/पोत मालिकों से संबंधित) एवं विलोमत: फैंडर को अलगाव, फैंडरों का भाड़ा प्रभार तथा स्टाफ को ऊपरि-समय-कार्य के लिए मदर पोत की प्रत्येक पुकार (मांग) पर रू. 27000/- का समेकित प्रभार प्रभार्य होगा। यह प्रभार बंदरगाह के बाहरी भाग में पत्तन पर पोतांतरण/निकास कार्यों के लिए मदर पोत पर प्रभारित होगा।

(6). उपर्युक्त समेकित प्रभार क्रूड आयल/पीओएल उत्पदानों के बंदरगाह के बाहरी भाग में किसी भी भाग में पोतांतरण/उत्रायी कार्य, पर प्रभार्य होंगे।

3.2. **लंगर-स्थान पर क्रूड/पीओएल उतपादों संबंधी पोतांतरण/उतरायी प्रशुल्क:**

मदर टैंकर पर प्रभार	4.75 सैंट प्रति जीआरटी
डॉटर टेंकर पर प्रभार	विदेशगामी पोत *4.75* सैंट प्रति जीआरटी तटीय पोत रू *2*.37 प्रति जी आर टी
एसटीएस प्रभार	मदर टैंकर से पोतांतरित/उतारे गये कार्गो पर प्रभार रू. 26.12 प्रति टन

<u>**टिप्पणियां:**</u>

(1). तटीय पोतों के लिए लागू छूट रियायत में और विस्तार नहीं किया जाएगा ।

(2). मदर टैंकर और डॉटर टैंकर को मार्गीय पड़ाव प्रभार के भुगतान से पूरी छूट दी गई है।

(3). यदि एसटीएस कार्रवाई आयातक/पोत के मालिक द्वारा सीधे कर ली जाती है तो एसटीएस प्रभार नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन, आयातक/पोत मालिक लदान करने वालों, फैंडरों के स्थानांतरण और लचीले तथा वैकल्पिक टगों की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

(4). यदि डॉटर टैंकर लंगर पर मदर वैसल से कार्गो लेने के पश्चात बाहरी बंदरगाह में वितरण (निष्कासन) और/या पोतांतरण/या उतरायी कार्यों के लिए स्थानातरण करता है तो यह टैंकर उतरायी/पोतांतरण/उतरायी कार्यों के लिए लागू अधिसूचित दरों के अनुसार पत्तन प्रभार अदा करेगा। ऐसे मामले में, ऊपर यथा निर्दिष्ट पत्तन प्रभारों के लिए डॉटर टैंकर से लंगरगाह में परिचालनों के लिए राशि पहले ही संग्रहीत की जाती है।

(5). पृथक पृथक ब्लॉस्ट वाले आयल टैंकरों के लिए अंतर राष्ट्रीय भार प्रमाण पत्र में टिप्पणी कालम में जो घटित टन भार दिया जाता है, पत्तन देयता के प्रयोजन से समग्र टन भार के तौर पर माना जाएगा ।

(6). उपर्युक्त् दरें वीपीटी के एक वैकल्पिक टग का प्रावधान दूसरे टग का प्रावधान पत्तन से उतरायी स्थान तक फैंडर को खींच कर लाने तथा मदर पोत संबंधी कार्य पूरा हो लाने के पश्चात पत्तन तक वापस ले जाने, कार्य स्थान पर ही उतरायी कार्य करने वालों के अनुसार एसटी एस कार्रवाईयों तथा एसटीएस के प्रहस्तन के लिए चलायमान हौज़ों के प्रहस्तन के लिए है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाएं दरमानों में निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होंगी। पत्तन के फैंडर्स, उपलब्धता और उपयुक्तता के अनुरुप ही प्रदान किए जाएंगे।

(7). पोतातरण/लाइटरेज कार्य पूरा होने के पश्चात यदि डॉटर टैंकर लंगर स्थान पर बंदरगाह के बाहरी भाग में पोतातरण / या निर्वन के लिए स्थानांतरण करता है और मदर टैंकर से कार्गो लेने के लिए पुन:लंगर स्थान पर आता है तो ऐसे सभी संचलन केवल स्थानांतरण माने जाएंगे।

3.3. **आंतरिक/बाह्य बंदरगाह पर शुष्क कार्गो के पोतांतरण/उतरायी कार्य के लिए प्रशुल्क:**

❖ शुष्क बल्क कार्गो के पोतांतरण /उतरायी कार्य में लगे हुए तथा अन्य पत्तनों को सामान ले जाने वाले मदर/डॉटर पोतों/बार्जो दोनो का पत्तन देयता/पायलटेज और बर्थ भाड़ा में 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी।

❖ पोतांतरण /उतरायी कार्य में लगे हुए तथा अन्य पत्तनों को ले जाए गए सामान पर रू. 6 प्रति टन की दर से घट भाड़ा लिया जाएगा। यह घाट भाड़ा वीपीटी में प्रचालन कार्य कर रहे बीओटी प्रचालकों के टर्मिनल तक पोतांतरण/उतरायी कार्य तथा पत्तनों तक ले जाए गए शुष्क बल्क कार्गो पर लागू होगा ।

❖ उतरायी/पूरक भरण प्रभार रू. 3/- प्रति टन की दर से निवर्हन /अन्य बर्थों पर उतराई (बीओटी बर्थों को छोड़ कर) के घाट भाड़ा के अतिरिक्त लगाया जाएगा।

खंड – 4
कार्गो संबंधी प्रभार

4.1. घाट भाड़ा :

क्रम सं.	नाम	इकाई	विदेशी दर (रु. में)	तटीय दर (रु. में)
1.	अल्कोहल	प्रति टन	380	228
2.	एसीटोन	प्रति टन	313	188
3.	सभी प्रकार का कोयला, कोक, तथा तारकोल पिच	प्रति टन	43	26
4.	अल्युमीना(बल्क)	प्रति टन	56.25	33.75
5.	अल्युमीनियम, अल्युमीना सौ इनगौट्स, अल्युमीना बिल्लेट्स और अल्युमीना उत्पाद	प्रति टन	37	22
6.	अस्फाल्ट/ बिटुमेन,बेरीट्स, फैल्डस्पर, क्रोम अयस्क	प्रति टन	31	19
7.	सीमेंट क्लिंकर (सीमेंट सहित)	प्रति टन	28	17
8.	मैगनीज़ अयस्क/फेरो मेगनीज स्लैग	प्रति टन	19	11
9.	अमोनियम नाइट्रेट	प्रति टन	262.50	157.50
10.	ब्लास्ट फरनेस स्लैग, बेनटोनाइट, डोलोमाईट चिप्स, नदी की रेत और फलाई-एश।	प्रति टन	22	13
11.	कैल्साइंड पैट्रोलियम कोक	प्रति टन	57	34
12.	कास्टिक सोडा	प्रति टन	47	28
13.	अनाज, खाद्यान्न, दालें व चीनी	प्रति टन	37	22
14.	चार्ज क्रोम, फैरो मैगनीज़, फैरो सिलिकोन, सिलिकोन मैगनीज़, हाईकार्बन फेरोक्रोम और अन्य अयस्क	प्रति टन	63	38
15.	अन्य रसायन	प्रति टन		
	मिथेलिन क्लोराइड		360	216
	आईएससी प्रोपलिन अल्कोहल		465	279
	टोलयून		355	213
	साइक्लो हेक्सीन		255	153
	हेक्सीन बल्क में		476	286
	अन्य रसायन (ऊपर 15 पर सूचीबद्ध से इतर)	एडवेलोरम	0.79%	0.48%
16.	पेट्रोलियम उत्पाद (एलपीजी को छोड़ कर)	**किलो लिटर**	88.20	88.20
17.	क्रूड आयल			

	(क) वीपीटी बर्थो पर क्रूड आयल	प्रति टन	74	74
	(ख) एसपीएम पर क्रूड आयल	प्रति टन	17	17
18.	खाद्य तेल	**किलो लिटर**	27	16
19.	विद्युत सामान	एडवेलोरम	0.46%	0.27%
20.	खाद (एमओपी सहित)	प्रति टन	50	30
21.	ग्रेनाइट ब्लॉक और मार्बल	प्रति टन	61	37
22.	लेमिनाईट रेत	प्रति टन	22	13
23.	लौह अयस्क(यंत्रीकृत)	प्रति टन	26	26
24.	लौह अयस्क पल्ले (यंत्रीकृत)	प्रति टन	29	29
25.	चूना पत्थर	प्रति टन	46	27
26.	तरल अमोनिया, मोल्टन सल्फर, रॉक फास्फेट व सल्फर	प्रति टन	50	30
27.	एलपीजी	प्रति टन	244.80	146.88
28.	मशीनरी	एडवेलोरम	0.24%	0.14%
29.	शीरा	प्रति टन	42	25
30.	सभी प्रकार के तेल जैसे सोया रेप-सीड आदि	प्रति टन	17	10
31.	फॉसफोरिक/सल्फ्यूरिक एसिड	प्रति टन	70	42
32.	पिग आयरन	प्रति टन	47	28
33.	जिप्सम	प्रति टन	40	24
34.	मेथनॉल	प्रति टन	70	42
35.	कचरा तेल	प्रति टन	19	11
36.	बायो डीज़ल	प्रति टन	72	43
37.	निम्न सहित सभी श्रेणियों के आर.आर. सामग्री	प्रति टन		
	(क) डेड बर्न्ट मैगनीज़(डीबीएम)			
	(ख) फ्यूस्ड मैगनीज़/मैग्नीशिया (एफएम)	प्रति टन	50	30
	(ग) बॉक्साइट/राउंड क्लिन सुपर ग्रेड/राउंड क्लिन माईल् ग्रेड			
	(घ) अल्./मैग/यौगिक पाऊडर			
	(ड.) ब्रिक/ब्रिक ग्रॉग			
	(च) ग्रेफाईट			
	(छ) सिलिकॉन कार्बाईड			
	(ज) रैफरामूल			
	(झ) फ्यूस्ड अल्यूमीना			
	(ञ) म्यूलाईट			
	(ट) सी-वॉटर मैगनेसाईट			
38.	स्टील उत्पाद – सभी किस्में	प्रति टन	58	35

39.	स्टाईरीन मानोमार	प्रति टन	104	63
40.	तापीय कोयला	प्रति टन	25	25
41.	इमारती लकडी के लट्ठे व लकड़ी का सामान	1 घन मी.	38	23
42.	सामुद्रिक उत्पाद	प्रति टन	0.024%	0.015%
43.	बॉक्साइट (अयस्क)	प्रति टन	38	23
44.	रू.1000/- प्रति टन. तक एफओबी/सीआईएफ मूल्य का अगणित सामान	प्रति टन	19	11
45.	रू.1000/- प्रति टन. से अधिक मूल्य का अगणित सामान	प्रति टन	76	46
46.	ब्रेक बल्क कार्गो का पोतांतरण जिनमें घाट-भाड़ा एडवेलोरम के आधार पर लगाया जाता है:			
	क) पोत से सीध पोत पर	प्रति टन	285	171
	ख) एक पोत से उतारा गया तथा बाद में दूसरे पोत पर लादा गया।	प्रति टन	356	214
47.	तेल खोज प्रयोजन के लिए ओएनजीसी के ओएसवी द्वारा प्रति फेरा वहन की गई सामग्री पर रू. 3500/- का घाट भाड़ा			
48.	रक्षा भंडार उपकरण	मी.ट.	162	97

<u>टिप्पणी:</u>

(1). कंटेनर पर घाट-भाड़ा एक बार उसके उतारे जाने तथा पुन: लादे जाने के समय प्रभार्य होगा।

(2). घाट भाड़ा डॉक में आने वाले उस सामान पर जो भले ही प्रेषित न किया गया हो अर्थात पोत में न लादा गया हो परंतु डॉक में प्रेषण के लिए आए हुए अधिक (फालतू) कार्गो पर प्रभार्य होता है। जिसे प्रेषित न किया गया हो और वह कार्गो प्रेषण के समय के 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाता है तो कोई घाट भाड़ा प्रभार्य नही होगा।

(3). आयात पर अतिरिक्त वेलोरम घाटभाड़ा सीआईएफ मूल्य पर संगणित किया जाएगा,निर्यात पर एफओबी मूल्य पर तथा तटीय कार्गो पर तटीय सामान के बिल में निर्धारित मूल्यों परसंगणित किया जाएगा। कार्गो के मूल्य के मूल्यांकन के लिए प्रवेश के सीमाशुल्क बिल/सामुद्रिक प्रेषण बिल/तटीय सामान बिल ही घाट भाड़ा के प्रयोजन के लिए मुख्य दस्तावेज़ माने जाएंगे और ऐसे दस्तावेज न होने की स्थिति में इनका मूल्य निर्धारण लदान बिल्टी/ इनवायस आदि के आधार पर किया जाएगा।

(4). यदि आए हुए क्राफ्ट/लदान हुतु पत्तन के टगों के संचालित होते हैं तो घाट भाड़ा प्रभारों के अतिरिक्त दरमानों में निर्धारित पायलटेज प्रभार भी लगाए जाएंगे।

(5). विविध प्रकार की वस्तुओं वाले पैकेटों पर कार्गो की प्रत्येक मद पर लागू दरों के अनुसार प्रभार लगाए जाएंगे।

(6). किसी भी कार्गो को अनइन्यूमिरेटिड गुड्स’के तौर पर वर्गीकृत करने से पूर्व यह पता लगाने के लिए कि कार्गो, उपर्युक्त दी गई अनुसूची में वर्णित विशिष्ट श्रेणियों के किस वर्ग में हो सकता है, सीमाशुल्क विभाग के प्रासंगिक वर्गीकरण का संदर्भ लिया जाएगा।

(7). सीएआरई, एएलआईएमसीओ, सीआरएस, डब्ल्युएफपी आदि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयातित कार्गो पर, केन्द्रीय/राज्य सरकार के उचित सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाने पर 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

(8). परियोजना के लिए प्रषित सामान पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

(9). शत-प्रतिशत ईओयू के लिए लाई गई सामग्री और यदि भारत सरकार के किसी दस्तावेज़ में उल्लेखित हो कि उपकरण/सामग्री का प्रयोग परियोजना के लिए किया जाएगा तो उसे परियोजना से संबंधित सामग्री माना जाएगा।

(10). रक्षा भंडार में बंब ग्रेनेट (टॉरपीडो, माईन, मिज़ाइलें और ऐसे युद्धक उपस्कर या उनके भाग जैसे कारतूस और अन्य उपस्कर और प्रक्षेपक या उनके कलपुर्जे (शॉट सहित) आते हैं और उपस्करों के अंतर्गत बारुद, उनके हिस्से/पुर्जे परंतु उनके हिस्से/पुर्जों के संदर्भ में रेडियों या राडार उपकरण, भारतीय सीमाशुल्क प्रशुल्क के अध्याय 93 के नोट 2 के अनुसार शामिल नहीं हैं।

4.2. वीसीटीपीएल के सिवाय डॉक पर प्रहस्तित कंटेनरों और कंटेनरीकृत कार्गो पर घाट भाड़ा।

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति कंटेनर (रुपयों में)		
		लंबाई: 20′	लंबाई :20′ से 40 ′ तक	लंबाई: 40′ से अधिक
1.	कंटेनर पर घाट भाडा	23.74	36.40	47.48
2.	कंटेनर में भराई या रिक्तीकरण कार्य पत्तन के परिसर में किये जाने पर (कार्गो के प्रकार/किस्म पर विचार किए बिना) कंटेनरीकृत कार्गो पर घाट भाड़ा ।	672.68	1009.82	1345.37
3.	कंटेनरयुक्त कार्गो पर घाट भाड़ा जब कार्गो पत्तन परिसर के भीतर नौभरण/डिलीवरी के लिए भरा/खाली किया जाता है	दरमानों के खंड 4.1 के अंतर्गत किए गए वर्गीकरण के अनुसार घाट-भाड़ा		

टिप्पणी:
वीसीटीपीएल पर प्रहस्तित कंटेनरों और कंटेनरीकृत कार्गो पर घाट भाड़ा प्रभार्य नहीं होगा परंतु वीपीटी के डॉक पर भरे/रिक्त किए गए कार्गो पर यह भाड़ा प्रभार्य होगा।

4.3 विशिष्ट मामलों में घाट भाड़ा प्रभार

निम्नलिखित विशेष मामलों में खंड 4.1 में उल्लेखित घाट-भाड़ा प्रभार्य होगा:

(i) . पोत तक ले जाए गए क्राफ्टों पर।

(ii). परित्यक्त सामान पर।

(iii). पैकेटों पर घोषित विवरण के अनुसार कि वे खाली या आंशिक रुप से भरे हुए आए हैं।

(iv). पत्तन पर अपने पहली समुद्रयात्रा पर आने वाले पोत, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रयोजन के लिए आयात सामान्य मेनिफेस्ट अथवा निर्यात सामान्य मेनिफेस्ट में कार्गो के रूप में घोषित हैं, उन्हें कार्गो के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे पोतों पर घाटशुल्क भी प्रभार्य नहीं होगा, यदि पोत अपने स्वयं के स्ट्रीम पर पत्तन में आते हैं और अपने स्वयं के स्टीम पर पत्तन सीमाओं से बाहर जाते हैं। तथापि, जब पत्तन सीमाओं के भीतर पोतों की लदाई अथवा उतराई की जाती है तो सीमाशुल्क दस्तावेजों के आधार पर ऐसे पोतोंपर घाटशुल्क देय होगा।

4.3.1 अनिश्चितता मे खड़े पर पोतों के सामान पर घाट-भाड़ा :

मद सं.	विवरण	देय प्रभार
1.	अनिश्चितता के कारण पोतो से उतरा हुआ अन्य पत्तनों का कार्गो ।	खंड 4.1 में यथा निर्दिष्ट
2.	वह कार्गो जिसने पहले से ही निर्यात घाट-भाड़ा का भुगतान विशाखापत्तनम पर कर दिया है परंतु गन्तव्य स्थान को नहीं ले जाया गया है ।	कोई घाट भाड़ा नही
3.	पुन: लादा गया अन्य पत्तनों का कार्गो जो अभी पत्तन परिसर से बाहर नहीं हुआ है।	पोत पर लदाई के समय पर कोई भाड़ा नहीं ।

4.4 भाड़ा मुक्त सामान

निम्नलिखित सामान घाट-भाड़ा से मुक्त रहेगा ।

(1). जानवरों के साथ कार्गो के तौर पर घोषित न किया गया चारा ।

(2). डाक की वस्तुएं।

(3). पोत की प्रामाणिक धूसर फिटिंग, पोत का भंडार, पोत के प्रावधान पात के अतिरिक्त कलपुर्जे और पोत द्वारा प्रयोग के लिए अघोषित धूसर फिटिंग।

(4). पोत की सफाई/झाड़-पोछ बशर्ते समग्र कार्गो पत्तन पर उतारा जाए और दस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि यह सफाई इस माल ढुलाई का भाग है और इसके लिए घाट-भाड़ा भुगतान कर दिया गया है।

(5). घाट, शेड, भंडारागार, किराए के प्लाटों आदि से एकत्रित कचरा आदि ।

(6). पोतांतरणों के लिए अघोषित कार्गो परंतु एक ही पोत के एक हैच से दूसरे हैच में स्थानांतरण या उतार कर पुन: उसी पोत में लादे गए कार्गो के लिए यदि प्रहस्तन प्रभार लिए गए हों तो यथा-लागू विलंब शुल्क प्रभार्य होगा।

(7). यात्रियों का अधिकृत सामान, नौचालकों का सामान एवं उनकी वैयक्तिक वस्तुएं।

(8). राजनायिकों की डाक।

(9). पैकिंग सामग्री के लिए प्रयुक्त बर्फ।

(10). आने-जाने वाले सैनिकों से संबंधित वैयक्तिक सामान, घोड़े और काठी व अन्य सैन्य उपकरण तथा ऐसे कार्मिकों के भोजन के लिए जानवर।

(11). सैंड बैलॉस्ट।

(12). सर्वेक्षणगत अस्वीकार्यता।

(13). जहाज पर सवार होने और उतरने वाले यात्री ।

4.6 **विलंब प्रभार/भंडारण प्रभार**

ट्रांजिट भवन में नि:शुल्क भंडारण अवधि

	विवरण	नि:शुल्क अवधि
1.	आयात कार्गो i. आयात कार्गो ii. परियोजना कार्गो	 5 *दिन* 20 *दिन*
2.	निर्यात कार्गो	30 *दिन*
3.	पोतांतरण के लिए आया हुआ सामान	10 दिन

टिप्पणी:

(1) ऊपर निर्धारित नि:शुल्क अवधि में, सीमा-शुल्क अधिसूचित छुट्टियां और पत्तन के गैर-प्रचालन दिवस शामिल नहीं हैं ।

(2) **आयात**:

(i). आयातित कार्गो के लिए नि:शुल्क अवधि की गणना पोत के पूरी तरह खाली हो जाने के अगले दिन से की जायेगी।

(ii). कंटेनरीकृत कार्गो के लिए नि:शुल्क अवधि रिक्तीकरण के अगले दिन से आरंभ होगी ।

(iii). साल्वेज़ सामान के मामले में नि:शुल्क अवधि साल्वेज के अगले दिन से आरंभ हो जाएगी।

(iv). जहां पोत से सामान लाइटर्स, बार्जो या तैरते हुए अन्य जलयानों में उतारा जाता है, ऐसी स्थिति में नि:शुल्क अवधि सामान के पोत से दूसरे जलयान घाट या जैट्टी पर आने के बाद आरंभ होगी ।

(v). यदि कंटेनरों का रिक्तीकरण उनके पहुंचने के 7 दिनों के अन्दर नहीं होता है तो कंटेनरों में भरे हुए सामान पर नि:शुल्क अवधि के 7 दिवसों के पश्चात आम दरों के अनुसार स्टीमर एजेंटों से विलंब शुल्क लिया जाएगा। यह प्रभार/शुल्क कंटेनरों पर भंडारण प्रभार के अतिरिक्त देय होगा।

(3). **निर्यात:**

निर्यात कार्गो के लिए नि:शुल्क अवधि की गणना कार्गो के पत्तन परिसर में दाखिल होने की वास्तविक तिथि से आरंभ होगी।

(4). पत्तन परिसर में लाए गए तथा पोत से बिना प्रेषण हटाए गए माल के लिए कोई नि:शुल्क अवधि नहीं है । पोत पर लदायी के समय अंदर लाए गए तथा पोत पर लदान/प्रेषण कार्य 24 घंटे के अंदर हटाए गए माल पर विलंब शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।

(5). पोतांतरण के सामान के लिए अंतरण के 10 दिन की नि:शुल्क भंडारण अवधि कार्गो को अंतिम रुप से उतारे जाने के अन्तिम दिन से सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित अवकाश के दिनों और पत्तन के अकार्य दिवसों को छोड़कर गणित की जाएगी ।

4.6.2(क) सामान्य/परियोजना-आयात कार्गो के अलावा अन्यों पर विलंब शुल्क प्रभार

मद सं.	विवरण	देय प्रभार
1.	नि:शुल्क अवधि के पश्चात पहले छह दिन	प्रति 3 दिन या उसके आंशिक भाग के लिए रु. *20.90* प्रति टन/ क्यूबिक मीटर या उसका आंशिक भाग
2.	आगामी छह दिन	प्रति 3 दिन या उसके आंशिक भाग के लिए रु. *41.80* प्रति टन/ क्यूबिक मीटर या उसका आंशिक भाग
3.	उसके पश्चात	प्रतिदिन या उसके आंशिक भाग के लिए रु. *20.90* प्रति टन/ क्यूबिक मीटर या उसका आंशिक भाग

4.6.2.(ख) सामान्य/परियोजना-आयात कार्गो पर विलंब शुल्क प्रभार

क्रम सं.	सामान्य कार्गो	परियोजना कार्गो	विवरण
1.	*1*ला दिन से *5*वां दिन	*1*ला दिन से *20*वां दिन	नि:शुल्क दिन : दरमानों के अनुसार
2.	*6*वां दिन से *25*वां दिन	*21st* दिन से *26*वां दिन	एकमुश्त दरें वसूल करने के लिए दरमानों की अनुसूची 4.6.2(क) में निर्धारित हैं।
3.	*26*वां दिन से *40*वां दिन	*27*वां दिन से *40th* दिन	दरमानों की अनुसूची 4.6.2(क) में निर्धारित दरों का 5 गुणा ।
4.	*41*वें दिन से आगे	*41*वे दिन से आगे	दरमानों की अनुसूची 4.6.2(क) में निर्धारित दरों का 10 गुणा।

टिप्पणी:

(1). ऐसा सामान जिस पर घाट भाड़ा 'एडवेलोरम' आधार पर लिया जाता है, उस पर विलंब शुल्क प्रति टन आधार पर लिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में विलंब शुल्क, घाट भाड़ा प्रभार की वसूली के मामलों पर आधारित प्रति टन या प्रति क्यू.घन मीटर के आधार पर होगी।

(2). खुले क्षेत्र में पड़े हुए सामान के लिए उपर्युक्त प्रभारो का 50 प्रतिशत- प्रभार प्रभार्य होगा ।

(3). यदि प्रचालन क्षेत्र उपयोक्ता को लीज़ किराए पर दिया गया हो तो उसमें भंडारित कार्गो पर पुन: कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(4). **संरोधित (डिटेंड) माल पर विलंब शुल्क**:—

इस नियम के अंतर्गत नि:शुल्क भंडारण की किसी भी अवधि के संगणन में, निम्न अवधियां शामिल नहीं होंगी जैसे कि: —

(i). ऐसी अवधि जिसके दौरान पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी माल को नष्ट करने से पूर्व रोक कर रखता है ।

(ii). ऐसी अवधि, जिसके दौरान सीमा शुल्क आयुक्त की विशेष जांच के लिए, जिनमें विश्लेषणात्मक व तकनीकी जांच भी शामिल है (सामान्य मूल्यांकन को छोड़ कर) और सीमा शुल्क आयुक्त प्रमाणित करने के लिए कि आयातक/निर्यातक अपनी किसी त्रुटि या लापरवाही के कारण उत्तरदायी नहीं है, माल को रोक कर रखता है।

(iii). ऐसी अवधि, जिसके दौरान सीमा शुल्क आयुक्त, आयात/निर्यात हेतु अपेक्षित कार्रवाइयों के लिए जब माल या सामान न होकर, सीमा शुल्क आयुक्त प्रमाणित करने के लिए कि आयातक/निर्यातक अपनी किसी त्रुटि या लापरवाही के कारण उत्तरदायी नहीं है, माल को रोक कर रखता है तो 4(i) व 4(ii) के अनुरुप स्थिति में विलंब शुल्क निम्नानुसार प्रभार्य होगा:

प्रथम 45 दिन	:	नि:शुल्क
46 दिन से 90 दिन	:	वास्तविक विलंब शुल्क का 50%
90 दिन से अधिक	:	वास्तविक विलंब शुल्क का 100%

वास्तविक विलंब प्रभार, उचित स्लैब में, दरमानों के अनुसार पूरी दरों पर, 45 दिन के पश्चात लागू होंगे तथा उस पर उपर्युक्त प्रभार्य रियायती दरें, पूर्ण विलंब प्रभार पर लागू होंगी। .

प्रथम 45 दिन की गणना इस प्रकार की जाएगी :

(क). यदि कार्गो नि:शुल्क अवधि की समाप्ति से पूर्व सीमा शूल्क अधिकारियों द्वारा रोका जाता है तो नि:शुल्क दिनों की समाप्ति के पश्चात पहले 45 दिन और

(ख). विलंब प्रभार लागू हो जाने के पश्चात सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा रोके जाने वाले प्रथम 45 दिन।

उपर्युक्त रियायत लेने के लिए 'संरोध प्रमाण-पत्र' सामान को क्लीयरेंस मिलने की तिथि से 6 माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

(5). आयातित कंटेनरों से माल बाहर निकालने के पश्चात ट्रांजिट क्षेत्र में पड़े हुए कंटेनर के माल पर नि:शुल्क अवधि की समाप्ति के पश्चात आयातित कार्गो पर प्रभार्य विलंब शुल्क के समतुल्य, प्रभार्य होगा ।

(6). **घाट पर पड़े हुए कार्गो पर विलंब शुल्क:**

पत्तन में पोत से समग्र सामान उतरने/पोत या बार्ज पर लदान के पश्चात किसी भी बर्थ से कार्गो के न हटाए जाने की स्थिति में विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

क्रम सं.	विवरण	राशि
i..	प्रथम पांच घंटे	नि:शुल्क
ii.	6वें घंटे से 10वें घंटे तक	नि:शुल्क – परंतु नि:शुल्क समय 6वें घंटे से 10वें घंटे अथवा बाद के पोतों की बर्थिंग तक, जो भी पहले हो, की सीमा तक। उसके बाद, इस स्लैब में रू. 5803.55 प्रति घंटा अथवा उसका भाग प्रभारित किया जाएगा।
iii.	11वें से 15वे घंटे तक	रु. 5803.55 प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग
iv.	16वें से 20वें घंटे तक	रु. 11607.09 प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग
v	21वें घंटे से आगे	रु. 29017.73 प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग

1) पत्तन को अधिकार प्राप्त है कि वह कार्गो को प्राप्तकर्ता/प्रेषक के खर्च पर स्थानांतरित कर दे।

2) उस अवधि के लिए विलंब शुल्क देय नहीं होगा जिसके दौरान पत्तन आयातित कार्गो के वितरण/ या निर्यात हेतु कार्गो के लदान के कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।

3) ''पत्तन द्वारा अथवा एजेंट के अनुरोध में से किसी पर भी पोत का स्थानांतरण किए जाने पर ध्यान दिए बिना, घाट विलंबशुल्क स्लैब दरों के अनुसार बर्थ वार वसूल किया जाएगा।

4.6.3 कंटेनरों पर भंडारण प्रभार :

विवरण	दर : प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका आंशिक भाग			
	विदेशगामी (अमेरिकी $ में)		तटीय (रुपयों में)	
	20'	40'	20'	40'
भरे हुए व रिक्त कंटेनरों पर भंडारण प्रभार	0.15	0.30	6.59	13.19

सामान्य टिप्पणी:

(1). आयात अथवा निर्यात के प्रयोजनार्थ खाली अथवा भरे हुए कंटेनरो के लिए एक दिन की नि:शुल्क अवधि अनुमत्त है। नि:शुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश व पत्तन के गैर कार्य-दिवस शामिल नहीं किए जाएंगे ।

(2). आयातित कंटेनरों लिए नि:शुल्क अवधि कंटेनर के पत्तन में आने के अगले दिन से आरंभ हो जाएगी। निर्यात हेतु कंटेनर के लिए नि:शुल्क अवधि कंटेनर के टर्मिनलों में आने के समय से प्रारंभ मानी जाएगी।

(3). परित्यक्त एफसीएल कंटेनर पर/कंटेनर प्रेषक पर भंडारण प्रभार, कंटेनर को परित्यक्त करने की लिखित सूचना प्राप्त होने या कंटेनर के पत्तन में आने से 75 दिन तक, जो भी पहले हो लगाए जाएंगे, बशर्ते

(i). प्रेषिति किसी भी समय परित्यक्ता संबंधी पत्र जारी कर सकता है ।

(ii). यदिप्रामान का प्रेषिति परित्यक्तता का पत्र जारी नहीं करता है तो एजेंट/एमएलओ भी परित्यक्तता संबंधी पत्र जारी कर सकता है बशर्ते लाइन (पत्तन की) कार्गो सहित कंटेनर को अपने कब्जे में ले ले या इसे वापस ले ले या पत्तन के परिसर से हटवा दे और 'लाईन' कंटेनर व कार्गो का कब्जा लेने से पूर्व पत्तन के सभी प्रभारों का भुगतान करेगा ।

(iii). कंटेरनर का एजेंट/एमएलओ सभी कार्रवाईयां पूरी करेगा और रिक्तिकरण व परिवहन प्रक्रिया संबंधी सभी कार्रवाईयां भी पूरी करेगा। तय अवधि में ऐसा न करने की स्थिति में कंटेनर पर उस समय तक भंडारण प्रभार लिया जाएगा जब तक शिपिंग लाईंस'द्वारा कार्गो के निकाले जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी नही हो जाती है

(iv). सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जहां कही भी कंटेनर जब्त किए जाते हैं और उन्हें 75 दिन की समय सीमा में खाली नहीं कराया जाता है तो लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा कार्गो को छोड़ने के आदेश जारी होने की तिथि से भंडारण प्रभार लगने बंद हो जाएंगे बशर्ते परिवहन व रिक्तीकरण की लागत के भुगतान सहित सभी आवश्यक कार्रवाईयां पूरी कर ली गई हों अन्यथा जब्त किये गये कंटेनर 'लाइन/प्रेषिति द्वारा पत्तन के परिसरसे उठवा कर सीमाशुल्क प्रतिबंधित क्षेत्र में रखवाए जाने चाहिएं तथा ऐसी स्थिति में कंटेनर हटवाए जाने के दिन से ही भंडारण प्रभार अप्रभार्य हो जाएगा ।

(4). यदि प्रचालन क्षेत्र उपयोक्ता को लीज़ किराए पर दिया गया हो तो उसमें भंडारित कार्गो पर पुन: कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(5). उस अवधि के लिए भंडारण प्रभार देय नहीं होगा जिसके दौरान वीपीटी आयातित कार्गो के वितरण/ या निर्यात हेतु कार्गो के लदान के कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा ।

4.7.1 कार्गो प्रहस्तन प्रभार (श्रमिक प्रभार)

कार्गो की अधोलिखित मदों पर निर्धारित प्रहस्तन प्रभार, घाट भाड़ा के अतिरिक्त लिए जाएंगे:

(i). मशीनरी (आयातित)

(ii). इमारती लकड़ी के लटठे और सामान (आयातित)

(iii). बोरें/बक्सों में सभी प्रकार की ताप सह अपरिष्कृत सामग्री और सामान्य तथा बोरों में भरा हुआ कार्गो (आयातित)

मद संख्या	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)
1.	1 टन तक और सहित भार वाले पैकेज बंडल/बोरे।	1000 कि.ग्रा.	56.98
2.	एक टन से अधिक और 3 टन तक भार वाले बंडल।	1000 कि.ग्रा.	63.31
3.	3 टन से अधिक भार वाले बंडल।	1000 कि.ग्रा.	71.23
4.	पत्तन द्वारा क्रेन उपलब्ध कराने पर बार्ज से क्वे तक आयातित कार्गो ले लाने के लिए।	1000 कि.ग्रा.	5.54
5.	आयातित कार्गो के लिए आपूर्तित बार्जो/लाइटरों में श्रमिक प्रहस्तन प्रभार।	1000 कि.ग्रा.	15.83
6.	डॉक क्षेत्र में कंटेनरो के स्थानातरंण के लिए प्रभार।	प्रति कंटेनर (खाली या भारित) प्रति स्थानांतरण प्रभार	254.83

टिप्पणियां:

(1). मद संख्या 1, 2 व 3 पर उल्लिखित प्रहस्तन प्रभार उपकरण किराया प्रभार हैं।

(2). (i). यदि घाट से ट्रांजिट क्षेत्र तक लकड़ी के लट्ठे या कोई अन्य कार्गो (कंटेनरों को छोड़कर) के परिवहन के लिए स्टीमर एजेटों/प्रेषितियों या उनके एजेंटों द्वारा (यथा अपेक्षित) ट्रेलरों की आपूर्ति की जाती है तो श्रमिक प्रभारों की अनुसूची की मद सं 1, 2 व 3 पर निधारित दरों के अनुसार 20 प्रतिशत रियायत दी जाएगी ।

(ii). यदि इस कार्य में घाट से ट्रांजिट क्षेत्र तक लकड़ी के लट्ठे या कोई अन्य कार्गो (कंटेनरों को छोड़कर) के परिवहन के लिए केवल तटीय प्रहस्तन उपकरणों और स्टीमर एजेटों/प्रेषितियों या उनके एजेंटों द्वारा (यथा अपेक्षित) ट्रेलरों की आपूर्ति की जाती है तो श्रमिक प्रभारों की अनुसूची की मद सं 1, 2 व 3 पर निर्धारित दरों के अनुसार 20 प्रतिशत रियायत दी जाएगी ।

(iii). यदि ट्रालों और प्रहस्तन उपकरणों और आयातित सामान के प्रहस्तन कार्यों (लकड़ी के लट्ठों सहित) परंतु कंटेनरों को छोड़ कर, स्टीमर एजेटों/प्रेषितियों या उनके एजेंटों द्वारा (यथा अपेक्षित) ट्रेलरों की आपूर्ति की जाती है तो श्रमिक प्रभारोंकी अनुसूची की मद सं 1, 2 व 3 पर निधारित दरों के अनुसार 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी ।

4.7.2 (*क*) आयात या निर्यात से संबंधित कंटेनरों का प्रहस्तन प्रभार:

20' कंटेनर		40' कंटेनर		40' से बड़ा कंटेनर	
भरा हुआ (रु. में)	**रिक्त (रु. में)**	**भरा हुआ (रु. में)**	**रिक्त (रु. में)**	**भरा हुआ (रु. में)**	**रिक्त (रु. में)**
253.25	189.93	506.49	379.87	569.80	435.27

(ख). अनिवार्य उपयोक्ता प्रभार:

पत्र सं. पीडी-14033/34/2017-पीडी-V दिनांक 06 जून 2018 द्वारा एमओएस पत्र के अनुसरण में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली लॉजिस्टिक डाटा बैंक (एलडीबी) सेवा

के लिए अनिवार्य उपयोक्ता प्रभार सभी महापत्तन न्यासों तथा बीओटी टर्मिनलों द्वारा सामान्य अंगीकरण के लिए टीएएमपी द्वारा अनुमोदित पृथक सामान्य अंगीकरण आदेश सं. टीएएमपी/46/2018-एमयूसी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा शासित किए जाएंगे।

4.7.3. एक ही पोत के कार्गो की अस्थायी उतरायी और पुन: लदान

विवरण	इकाई	दर : रुपयों में
पत्तन के मजदूरों द्वारा प्रहस्तित	प्रति 1000 किलोग्राम	रु. 25.48 पैसे

अनुसूची 4.7.1, 4.7.2. व 4.7.3 से संबंधित सामान्य टिप्पणियां:

(1). कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रासंगिक संचलनों के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(2). लगाए गए उपकरणों के लिए यथालागू अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

(3). रियायती प्रशुल्क वाले तटीय कार्गो के प्रहस्तन के मामलों तथा तटीय कंटेनरों को क्वे से/भंडारण यार्ड को/से पोत तट तक स्थानांतरण के मामलों में उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दरों का 60 प्रतिशत प्रभार लिया जाएगा।

(4). पत्तन, निर्यात वाले कार्गो को अपने कब्जे में नहीं लेता है।

(5). पत्तन आयातित कार्गो को अपने कब्जे में लेता है और ट्रांजिट स्थान पर भेज कर लाइटर्स(बल्क कार्गो को छोड़कर) जानवर(क्रेटों में नहीं) और अन्य कार्गो जिनका वितरण विशेष मामलों में पत्तन एवं सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत से सीधे किया जाता है। वितरण के लिए छटाई करवाता है

(6). पत्तन द्वारा अस्थायी तौर पर उतारे/आए हुए कार्गो के प्रहस्तन के लिए प्रभारों में ट्रांजिट शेडों या स्थानों पर अनस्लिंगिंग, टेलिंग, कैरिंग, सार्टिंग शामिल हैं ।

(7). बर्थ क्वे या मूरिंग पर खड़े पोत से अस्थायी तौर पर क्वे या लाइटरों में उतारा गया कार्गो, पोत के खर्चे, जोखिम व जिम्मेदारी पर रखा जाएगा ।

(8). खंड 4.7.1 की मद सं. 4 पर निर्धारित प्रभार, 5 टन या इससे अधिक की प्रत्येक उठान (लिफ्ट) पर लागू नहीं होगा।

(9). भरे हुए कंटेनरों का स्थानांतरण प्रभार, पोत के स्वामियों/स्टीमर एजेंटों द्वारा देय होगा। कंटेनरो के स्थान परिवर्तन के लिए ट्रैक्टर-कम-ट्राला संबंधित पोत के स्वामियों/स्टीमर एजेंटों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

4.7.4. कार्गो प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी) से कार्गो प्रहस्तन कामगारों की सेवाएं लेने के लिए प्रभार:

4.7.4.1 समय-दर मजदूरी पर लेवी:

विवरण	समय-दर मजदूरी पर लेवी: प्रतिशत में
कार्गो प्रस्तन प्रभाग से सभी प्रकार के कार्गो, तापीय कोयला सहित, की वैगन में लदान/से उतराई के लिए, कार्गो प्रहस्तन कामगारों की सेवाएं लेने के लिए।	150%

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त लेवी दर, समय-दर मजदूरी व मजदूरों को देय पीस रेट, प्रचलित मजदूरी व्यवस्था/प्रोत्साहन योजना के संबंधित खंड के अनुसार है।
2. उपर्युक्त लेवी, स्टीवडोर्स द्वारा वीपीटी को देय होगी।
3. ऐसे मामलों में जहां सीएचडी कामगारों की मांग बर्थ में लगे हुए पोत पर कम है तो यह कर/वसूली वास्तविक घंटों के अनुसार की जाएगी ।

4. पोतीय कार्य, पारी समाप्ति से पूर्व समाप्त होने की स्थिति में यह वसूली कार्य पूरा होने के वास्तविक घंटों के लिए प्रभार्य होगी।

5. क्रम सं. 3 व 4 के दोनो प्रकार के मामलों में शत प्रतिशत वसूली की जाएगी।

4.8. तारपाउलिन सहित पत्तन के आसपास में धूल कार्गो को कवर करने के लिए लेवी:

4.8.1. तारपारलिन सहित पत्तन के आसपास में सभी धूल आयात तथा निर्यात कार्गो को कवर करने की सेवा चलाने के लिए वीपीटी द्वारा प्राधिकृत स्टीवडोरों/प्रहस्तन एजेंटों और बीओटी परिचालकों द्वारा रू. 5.30 प्रति टन की लेवी।

4.8.2. यदि वीपीटी द्वारा प्राधिकृत स्टीवडोर्स/प्रहस्तन एजेंट तथा बीओटी परिचालक तारपारलिन सहित पत्तन के आसपास में सभी धूल आयात तथा निर्यात कार्गो को कवर नहीं करते हैं तो यह करेगा और संबद्ध से तारपाउलिन सहित सभी धूलपूर्ण् आयात तथा निर्यात कार्गो की वास्तविक लागत वसूल करेगा।

खंड – 5

भाड़े पर लिए गए जलयान/उपकरण का प्रभार

5.1. फलोटिंग क्रेन प्रभार

5.1.1. 140 टन वाली फलोटिंग क्रेन:

मद सं.	बंडल का भार या प्रभार की किस्म	इकाई	दर (रुपयों में)	दूसरी कार्रवाई के लिए दर रुपयों में
1.	50 टन तक	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	रू. 2639.29 प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग परंतु न्यूनतम रु. 5279.12	रू. 1319.65 प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग परंतु न्यूनतम रु. 2501
2.	50 टन से अधिक परंतु 60 टन से कम	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	1137.63	568.81
3.	60 टन से अधिक	उपर्युक्त	1516.84	758.42
4.	क्रेन की मांग करने परंतु सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्रयोग न करने और मांग रद्द न करने की 2 घंटे का नोटिस दिए बिना पोत के लिए प्रयोग न करने की स्थिति में।	प्रति मांग	5263.42	--
5.	लिफ्टों या स्लिंगों के तैयार न होने की स्थिति में क्रेन को व्यर्थ रोकने पर।	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	2631.71	--
6.	नियम का उल्लघंन करने पर दंड अर्थात उतरायी या लदान आदि के लिए एक बार में केवल एक लिफ्ट का प्रयोग किया जाएगा ।	प्रति उल्लंघन	1880.88	--
7.	क्रेन डेक को बार्ज के तौर पर प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रभार।	प्रत्येक भारित फेरा	3943.77	--
8.	दैनिक उतरीय/पोत पर लदान और कार्गो के वितरण के सिवाय अन्य प्रयोजन के लिए क्रेन का प्रयोग।	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	17064.41	--
9.	हैचों में कार्य करने के लिए पोत पर उपकरणों को चढ़ाने/उतारने या हटाने के	उपर्युक्त	1516.84	--

	लिए (केवल कार्गो प्रहस्तन के लिए)।			
10.	एफएच के डूबे हुए ट्रालों को उठाने/निकालने के प्रयोजन से प्रयोज्य।	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	4616.46	--

5.1.2. **60 टन वाली फलोटिंग क्रेन:**

मद सं.	बंडल का भार या प्रभार की किस्म	इकाई	दर (रुपयों में)	दूसरी कार्रवाई के लिए दर रुपयों में
1.	50 टन तक	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	रु. 2639.29 प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग परंतु अधिकतम रु. 5278.58	रु.1319.65 प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग परंतु अधिकतम रु. 2639.29
2.	50 टन से अधिक परंतु 60 टन से कम	प्रति टन या उसका आंशिक भाग	1137.63	568.81
3.	क्रेन की मांग करने परंतु सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्रयोग न करने और मांग रद्द न करने की 2 घंटे का नोटिस दिए बिना पोत के लिए प्रयोग न करने की स्थिति में।	प्रति मांग	5263.42	--
4.	लिफ्टों या स्लिंगों के तैयार न होने की स्थिति में क्रेन को व्यर्थ रोकने पर।	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	2631.71	--
5.	नियम का उल्लघंन करने पर दंड अर्थात उतरायी या लदान आदि के लिए एक बार में केवल एक लिफ्ट का प्रयोग किया जाएगा ।	प्रति उल्लंघन	758.42	--
6.	क्रेन डेक को बार्ज के तौर पर प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रभार ।	प्रत्येक भारित फेरा	3943.77	--
7.	दैनिक उतरायी/पोत पर लदान और कार्गो के वितरण के सिवाय अन्य प्रयोजन के लिए क्रेन का प्रयोग करने पर प्रत्येक बार ।	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	7508.34	--

<u>**टिप्पणियां:**</u>

(1). ऊपर दिए गए प्रभारों में क्रेन की हॉलेज और मूरिंग प्रभार शामिल हैं।

(2). मांग रद्द करने की पूर्व सूचना (लिखित) दो घंटे पहले देनी होगी अन्यथा मांग किए जाने पर क्रेन का उपयोग करने अथवा न करने की स्थिति में पूरे प्रभार का भुगतान करना होगा।

(3). लदान या निकासी/उतरायी कार्य के लिए एक समय में एक ही उठान (लिफ्ट) परंतु क्रेन से जब एक ही स्लिंग में दो या अधिक उठानों का कार्य संपन्न किया जाएगा तो ऐसी उठान के लिए क्रेन का प्रभार कुल भार के लिए लागू दर के अनुसार प्रभार्य होगा। इसके अतिरिक्त इन पर उपर्युक्त दरों के अनुसार दंड भी लगाया जाएगा।

(4). क्रेन डेक को बार्ज के तौर पर प्रयोग करने के लिए पृथक मांग देनीहोगी। क्रेन डेक प्रभार मांग के समय से लेकर मांग रद्द करने तक लगाए जाएंगे। ध्यान रहें कि क्रेन डेक केवल बार्ज के तौर पर प्रयोग करने के लिए नहीं दिया जाएगा।

(5). फलोटिंग क्रेन का प्रभार उसे किराए पर उपलब्ध कराने के समय से प्राधिकारियों को लौटाए जाने तक प्रभार्य होगा। फलोटिंग क्रेन की उपलब्धता, अभीष्ट प्रयोजन के लिए क्रेन के संचलन शुरु करने से बैस में पहुंचने तक मानी जाती है। टग लेने के लिए प्रतीक्षा अवधि, यदि कोई हो, किराया अवधि से घटा दी जाएगी ।

(6). पोतांतरण या पोत के उसी तल पर कार्गो या पोत गियर, मरम्मत के लिए वर्कशॉप के लिए जब जब तत्पश्चातिक पुन: उठाने के लिए भारी भरकम उठानवाली क्रेन द्वारा उठाए जाते है तो उपर्युक्त अनुसार अलग अलग प्रभार लगेंगे अर्थात पोत से पहली उठान के लिए उपर्युक्त दरों पर तथा तत्पाश्चातिक पोत पर चढ़ाने हेतु उपर्युक्त दरों की आधी दर पर ।

(7). संरोध अवधि निकालने के लिए लिफटों की तैयारी हेतु दो या दो से अधिक निरंतर उठानों (लिफ्टों) को महत्व दिए बिना छोटे-मोटे विलंबों के लिए 15 मिन्ट की छूट अवधि अनुमत्त होगी ।

5.2. खींच (टोवेज) प्रभार

5.2.1. खींच (टोवेज) प्रभार(पत्तन की सीमा के अंदर):

मद सं.	विवरण	इकाई	दर	
			विदेशगामी पोत (अमेरिकी $ में)	तटीय पोत (रुपयों में)
1.	30 टन बीपी तक क्षमता वाले टग	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग (परंतु न्यूनतम दो घंटे)	409.23	10,938.79
2.	30 टन बीपी से अधिक क्षमता वाले टग		818.48	21,877.58

टिप्पणी:

(1). टग भाड़ा प्रभार टगों के पत्तन की जैट्टी से लेजाने से लौटाए जाने तक की अवधि के लिए संगणित किया जाएगा ।

(2). वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पक्ष (पार्टी) की मांग पर टगों के लिए, उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दर का 70 प्रतिशत प्रभार, प्रभार्य होगा ।

(3). अनुसूसची में दिए गए खिंचावट या खींच प्रभार टगों का भाड़ा है। पायलटेंज और स्थानातरण प्रभारों से इसका कोई संबंध नहीं है ।

5.3 गैंग सहित मूरिंग बोट/पायलॉट-लांच भाड़ा/पायलॉट फीस:

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)
1.	गैंग सहित मूरिंग नौका	प्रथम 4 घंटें या उसका आंशिक भाग	520.10
		प्रत्येक अतिरिक्त घंटा या उसका आंशिक भाग	195.45
2.	पॉयलाट लांच	प्रति संचलन	2929.64

5.4 आंतरिक बंदरगाह में ड्रेजिंग से डंपिंग स्थान तक, भरे हुए/खाली बार्जो/ड्रेज़र आदि के स्थानांतरण के लिए पायलॉट व पायलॅट लांच के लिए सेवा प्रदानगी की दरें।

मद सं.	विवरण	दर: प्रति संचलन(रुपयों में)

1.	आंतरिक हार्बर से गंतव्य क्षेत्र (ओएच) तक के संचलन के लिए पायलॉट लांच हेतु प्रभार	2929.64
2.	आंतरिक हार्बर में खाली बार्जों के गंतव्य ड्रेजिंग क्षेत्र तक संचलन के लिए पायलॉट लांच हेतु प्रभार	2929.64

5.5 बर्थ भाड़ा के अंतर्गत वसूली न किए जाने की स्थिति में, विद्युत चालित क्रेन का प्रभार (अन्य उपयोग के लिए जैसे/ क्वे/से बार्ज तक प्रहस्तन, गैर कार्गो संबंधी कार्रवाईयां)

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)	न्यूनतम प्रभार (रुपयों में)
1.	20 टन वाली विद्युत चालित क्वे क्रेन	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	4155	8310

टिप्पणियां:

(1). इन प्रभारों में केवल क्रेनों की वर्किंग के लिए प्रभार ही शामिल हैं। क्रेन की पहुंच के भीतर स्लिंगिंग और अस्लिंगिंग तथा भार संचलन किरायेदार की जिम्मेदारी होगी।

(2). इन प्रभारों की गणना के प्रयोजन के लिए, पत्तन के कारण उपस्करों के अनिरंतर खराब होने को शामिल नहीं किया गया है।

5.6. मोबाईल क्रेन प्रभार:

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)	न्यूनतम प्रभार (रुपयों में)
1	मोबाईल क्रेन(क्षमता 45 टन तक)	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	645	1290
2	मोबाईल क्रेन(क्षमता 75 टन तक)	प्रति घंटा या उसका आंशिक भाग	1593	3185

5.7. फॉर्क लिफ्ट ट्रक/टॉप लिफ्ट कैरियर प्रभार:

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)
1.	फॉर्क लिफ्ट ट्रक 5000 कि. ग्रा. तक	आठ घंटा प्रति पारी या उसका आंशिक भाग	2865
2.	डीज़ल फॉर्क लिफ्ट ट्रक 10 से 12 टन तक	आठ घंटा प्रति पारी या उसका आंशिक भाग	6595

5.8 चलायमान वैगन-वे-ब्रिज *(100 टन)*

आठ पहियों वाले 100 टन क्षमता के गहराई विहीन चलायमान वैगन-वे-ब्रिज के उपयोग का प्रभार रू. 13.20 प्रति वैगन होगा।

खंड – 6

<u>लाइसेंस प्रभार (भंडारण) शुल्क</u>

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)	दंडात्मक दर (रुपयों में)
1.	शेडों के लिए लाइसेस फीस : ट्रांजिट और भंडारण शेड, भंडारागार तथा जीसीबी के पीछे भंडारागार सहित सभी आच्छादित स्थान।	प्रति 100 वर्ग मीटर	4710/- प्रति सप्ताह या उसका आंशिक भाग	9420/-
2.	खुले स्थान के लिए लाईसेंस फीस	**इस मद के लिए लाइसेंस फीस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किराया अनुसूचीके अनुरुप आदेश सं. टीएएमपी/48/2014-वीपीटी दिनांक 15 जनवरी 2016 से, अलग से ली जाएगी।**		

टिप्पणियां:

(1). भंडारण स्थानों के आवंटन/नवीकरण के लिए आवेदन समय रहते करने होंगे तथा आवेदन देरी से प्राप्त होने की स्थिति या नवीकरण हेतु भुगतान देरी से होने पर, अधिकतम 1 सप्ताह की विलंब अवधि, बिना ब्याज प्रदान की जाएगी। बिना वैध लाईसेंस कब्जा, अनाधिकृत कब्जा माना जाएगा।

(2). जब कार्गो बिना आबंटन स्टेक किया जाएगा या 15 दिन पूर्व सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी क्षेत्र को खाली नहीं किया जागा तो ऐसी स्थिति में यह किए जानेकी स्थिति में ऐस कब्जा अनाधिकृत कब्जा माना जाएगा, ऐसी स्थिति में लाईसेंस फीस, निर्धारित फीस का दो गुणा फीस प्रभार्य होगी।

खडं – 7
अन्य सेवा प्रभार

7.1. पोतों को जल आपूर्ति के लिए प्रभार:

मद सं.	विवरण	इकाई	विदेशगामी पोत (अमेरिकी $ में)	तटीय पोत (रूपयों में)
1.	तट पर लगे पोतों को जल आपूर्ति	प्रति 1000 लिटर या उसका आंशिक भाग	3.762 [न्यूनतम 18.81 अमेरिकी $]	100.58 (न्यूनतम रू. 502.88)
2.	पोतों को बार्जों द्वारा जल आपूर्ति	प्रति 1000 लिटर या उसका आंशिक भाग	4.854 [न्यूनतम 24.273 अमेरिकी $]	129.77 (न्यूनतम रू. 648.84)

टिप्पणी:

1. पोतों द्वारा जल आपूर्ति की मांग की 10 प्रतिशत से कम मात्रा में उपयोग किया जाता है तो जल आपूर्ति मांग के लिए निर्धारित प्रभारों के 50 प्रतिशत के समतुल्य सेवा प्रभार प्रभार्य होगा। मूरिंग पर जल आपूर्ति के लिए प्रभार में जल बार्ज और हौज़ों की सेवाए शामिल हैं।

7.2. फायर फलोट प्रभार :

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)	नयूनतम प्रभार (रुपयों में)
1.	साल्वेज और अन्य प्रयोजनों के लिए	प्रति घंटा	2000	6000
2	वैकल्पिक डयूटियों के लिए	प्रति घंटा	1000	3000

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रभारों में समयोपरि प्रभार शामिल नहीं हैं।

7.3 अग्निशामक प्रभार :

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)
1.	फायर टैंडर/अग्नि शामक(सभी प्रकार के अग्नि शामक)	प्रति घंटा	1000

टिप्पणियां:

(1). पत्तन सीमाओं में पड़ने वाले जलयानों में अग्निशामकों के लिए वास्तविक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

(2). क्रू के समयोपरि प्रभार अतिक्ति वसूल किए जाएंगे।

उपर्युक्त प्रभारों में समयोपरि प्रभार शामिल नहीं हैं।

7.4. ट्रेल अथवा पंप :

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)
1.	सभी प्रकार के पंपों के लिए	प्रति घंटा	1000

7.5. विविध प्रभार:

मद सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)
1.	योकोहामा फैंडर	प्रति दिन या उसका आंशिक भाग	2807
2.	**छिड़काव और साफ सफाई सहित प्रदूषण नियंत्रण प्रभार(यांत्रिक प्रणाली द्वारा प्रहस्तित कार्गो को छोड़ कर जैसे लौह अयस्कए पल्ले , अल्युमीनिय, तथा खाद-बर्थ पर कार्गो)**		
	शुष्क बल्क के लिए	प्रति टन या उसका आंशिक भाग	1.98
	ब्रेक बल्क के लिए	प्रति टन या उसका आंशिक भाग	0.66
3.	**60 टन का रोड वे ब्रिज**		
	प्रति ट्रक/लदा हुआ या खाली/		15.17
	प्रति ट्राला/खाली/		15.17
	प्रति ट्राला /भरा हुआ/		30.34
4.	फैंडरों का स्थानांतरण	प्रति स्थानांतरण	26,380
5.	बंकरबार्जों /पोतों के माध्यम से आपूर्तित बंकरों पर लेवी	प्रति किलो लिटर	7.91
6.	बिलों की नकल प्रति	*प्रत्येक प्रति*	65.95
7.	भुगतान/नापतोल का प्रमाणपत्र	प्रत्येक प्रमाणपत्र	65.95
8.	संशोधन प्रति	प्रत्येक संशोधन	65.95
9.	दरमान	प्रत्येक फलॉपी/कंपेक्ट डिस्क/हार्डकापी	131.90
10.	**बर्थिंग कार्यक्रम**		
	टीएम कार्यालय पर बिना डाकखर्च	प्रत्येक प्रति प्रति वर्ष	1320.00
	डाकखर्च सहित	प्रत्येक प्रति प्रति वर्ष	3957.00
	अतिरिक्त प्रति	प्रत्येक प्रति प्रति वर्ष	330.00

7.6. शुष्क डॉकिंग प्रभार:

7.6.1.1 विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, आंतरिक हार्बर पर शुष्क डॉक के प्रयोग के लिए:

मद सं.	विवरण	इकाई	विदेशगामी पोत (अमेरिकी $ में)	तटीय पोत (रूपयों में)
1.	1-14 दिन तक	प्रति दिन	3150.15	88,531.50
2.	15 वें दिन से 30वें दिन तक	प्रति दिन	4723.70	1,32,754.51
3.	31वें दिन से आगे	प्रति दिन	6300.28	1,77,062.99

टिप्पणियां:

(1). उपर्युक्त प्रभारों में शिपराईट और पंपिंग प्रभार शामिल हैं परंतु पेय जल की अपूर्ति क्रेन ,विद्युतीय प्रकाश और अन्य सुविधाओं के प्रभार शामिल नहीं हैं ।

(2). समय की गणना पोत द्वारा गेट की रेखा से प्रवेश करते ही आरंभ हो जाएगी और डैक या गेट से बाहर जाते ही रोक दी जाएगी ।

(3). दिवस का अभिप्राय 24 घंटे या उसका आंशिक भाग से है जो नोट 2 में दिए गए निश्चित समय से संगणित किया जाएगा।

(4). वीपीटी, एक ही समय में एक से अधिक पोतों को अपने विवेक से शुष्क डॉक के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। ऐसे अवसरों पर पोत के डॉक प्रभार जिसकी मरम्मत दूसरे पोत या पोतों की अपेक्षा पहले हो गई हो, जिनकी अनडॉकिंग करने विलंब हो रहा हो तो बाद वाले पोतों पर ये प्रभार पोत पर कार्य पूरा होने के दिन की समाप्ति तक लगाए जाएंगे। कार्य पूरा होने या एक विशेष पोत और पोतों की अंतिम अनडॉकिंग, अकार्य दिवस कहलाएंगे।

(5). जब डॉक का प्रयोग, निजी पक्षों या सरकारी विभागों या पत्तन के दो या अधिक जलयानों द्वारा किया जाता है तो समग्र प्रभार को वीपीटी के द्वारा प्रत्येक पोत के लिए निर्धारित संदर्भित क्षेत्र के लिए घेरे गए स्थान फलोर एरिया के आधार पर अनुपातत: प्रभार्य होगा। वीपीटी द्वारा लिया गया विभाजन संबंधी निर्णय अंतिम माना जाएगा।

7.6.1.2 डॉक ब्लॉक तैयार करने के लिए प्रभार:

(रुपये प्रति पोत)

क्रम सं.	विवरण	इकाई दर	पोत की लंबाई 50 मीटर तक	पोत की लंबाई 50 मीटर से 100 मीटर तक	पोत की लंबाई 100 मीटर से अधिक
(i).	स्पाट तल वाला पोत	संयोजी दर	221590	276987	332385
(ii).	विशेष आकार वाला पोत		379868	506491	633114

टिप्पणी:

डॉक ब्लॉक तैयार करने के प्रभार में, कील ब्लॉक तैयार करने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री सहित समग्र लागत शामिल है। उपर्युक्त प्रभारों में विल्ज़ ब्लॉक तैयार करने के लिए जिसके लिए सामग्री पोत के मालिक द्वारा दी जाती है, शामिल नहीं है।

7.6.1.3. डॉकिंग व अनडॉकिंग संयोजी प्रभार:

(i). विदेशगामी पोत पर अमेरिकी $ 6704.52 व तटीय पोत पर रू. 188424/- प्रति पोत की दर से डॉकिंग व अनडॉकिंग संयोजी प्रभार लगाया जाएगा

(ii). दूसरी डॉकिंग के मामले में विदेशगामी पोत पर अमेरिकी $ 2428.69 प्रति पोत की दर से तथा तटीय पोत पर 68256/- प्रति पोत की दर से लगाया जाएगा।

7.6.1.4 ब्लॉक स्थानांतरण प्रभार:

ब्लॉक स्थानांतरण प्रभार वास्तविक पर लगाया जाएगा।

7.6.2. विशाखापत्तनम मत्स्य उद्योग हार्बर:

7.6.2.1. मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नौकाओं/ट्रालों (छोटे या बड़े) के लिए समेकित प्रभार:

क्रम सं.	विवरण	इकाई	भुगतान की आवृति	दर: प्रति माह (रुपयों में)
1.	मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नौका	प्रति नौका	प्रति कैलेंडर माह	400
2.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (छोटा)-14 एनआरटी तक	प्रति ट्राला	प्रति कैलेंडर माह	3000
3.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (बड़ा)-14 एनआरटी से अधिक	प्रति ट्राला	प्रति कैलेंडर माह	6000

टिप्पणियां :

(1) उपर्युक्त संयोजी प्रभार में पत्तन देयताएं बर्थ भाड़ा तथा घाट भाड़ा शामिल हैं।

(2). उपर्युक्त संयोजी प्रभार मछली उद्योग हार्बर पर पड़ाव के दिनों पर विचार किए बिना, कैलेंडर माह में लिए जाते हैं।

(3). सरकारी सर्वेक्षण/प्रशिक्षण पोत अर्थात सीआईएफएनईटी एफएसआई व सीआई एफटी, सामुद्रिक स्रोतों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और प्रशिक्षण संबंधी कार्रवाईयों के लिए नियुक्त पोतों सहित निम्नानुसार बर्थ किराया निर्धारित किया गया है तथा 3 सरकारी सर्वेक्षणों/ प्रशिक्षण पोतों पर किसी प्रकार की पत्तन देयता या घाट भाड़ा देय नही है।

क्रम सं.	विवरण	इकाई	बर्थ भाड़ा प्रति दिन(रुपयों में)
1.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (छोटा)-14 एनआरटी तक	प्रति दिन या उसका आंशिक भाग प्रति ट्राला	135.28
2.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (बड़ा)-14 एनआरटी से अधिक	प्रति दिन या उसका आंशिक भाग प्रति ट्राला	203.14

(4). मछली पकड़ने वाले ट्राले/नौकाएं मछली पकड़ने के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न, मछली पकड़ने वाली नौकाओं/ट्रालों पर लागू प्रभार, प्रभार्य नहीं होगा।

7.6.2.2. पायलटेज शुल्क की अनुसूची:

"यदि यंत्रीकृत नौकाओ/मछली पकड़ने वाले छोटे/बड़े ट्रालों को खींचने के लिए पत्तन के पायलॉट के आवश्यकता पड़ती है तो विदेशगामी पोत से अमेरिकी डॉलर 614.25 तथा तटीय पोत से रू.16418.90 पायलटेज शुल्क लिया जाएगा। ''

7.6.2.3.मछली पकड़ने वाले छोटे/बड़े ट्रालों के टगों से स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण् प्रभार अनुसूची:

क्रम सं.	विवरण	इकाई	विदेशगामी पोत (अमेरिकी $ में)	तटीय पोत (रुपयों में)
1.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (छोटा)-14 एनआरटी तक	प्रत्येक कार्रवाई के लिए	9.5	253.94

2.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (बड़ा)-14 एनआरटी से अधिक	प्रत्येक कार्रवाई के लिए	26.6	711.02

स्थानांतरण प्रभारों से संबंधित सामान्य टिप्पणियां:

(1). "स्थानांतरण" का अर्थ है एक ही हार्बर में या हार्बर के आंतरिक भाग से बाहरी भाग में अथवा विलोमत: छोटे या बड़े, मछली पकड़ने वाले ट्रालों (छोटा और बड़ा) का संचलन ।

(2). स्थानांतरण प्रभारों में टग के साथ मूरिंग और अनमूरिंग कार्य शामिल हैं ।

7.6.2.4 मछली पकड़ने वाली छोटी अथवा बड़ी यंत्रीकृत नौकाओं/ट्रालों के लिए स्लिपिंग-इन तथा स्लिपिंग-आऊट प्रभार:

क्रम सं.	विवरण	दर: रुपये - दोनों संचालनों के लिए
1.	मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नौका	8,400.00
2.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (छोटा)-14 एनआरटी तक	33,000.00
3.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (बड़ा)-14 एनआरटी से अधिक	84,000.00

7.6.2.5 स्लिपवे कंपलेक्स के लिए जेट्टियों सहित स्लिपवे कंपलेक्स और मत्स्य उयोग शुष्क डॉक को पहुंच, स्लिपवे मरम्मत बर्थ भाड़ा प्रभार:

क्रम सं.	विवरण	दर: रुपये / दिन
1.	मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नौका	[I] प्रथम दिन के लिए रु. 900.00 [ii] दूसरे दिन से आगे रु.450.00
2.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (छोटा)-14 एनआरटी तक	1650.00
3.	मछली पकड़ने वाला ट्राला (बड़ा)-14 एनआरटी से अधिक	3600.00

टिप्पणी: स्लिप-वे कंपलेक्स पर सभी प्रकार की सेवाओं के लिए प्रभार, अग्रिम रुप में जमा कराने होंगे।

7.6.2.6. मत्स्य उद्योग हार्बर पर शुष्क डॉक के लिए डॉकिंग व अनडॉकिंग प्रभार:

दोनों कार्रवाईयों के लिए डॉकिंग व अनडॉकिंग प्रभार : रु. 1,32,000/- प्रतिदिन.

7.6.2.7. मत्स्य उद्योग हार्बर पर शुष्क डॉक के लिए शुष्क डॉकिंग प्रभार:

(i).	प्रथम दिवस के लिए	रु. 48000/- प्रति दिन
(ii).	2रे दिन से 10वें दिन तक	रु. 39000/- प्रति दिन
(iii).	11वें दिन से 20वें दिन तक	रु. 48000/- प्रति दिन
(iv).	21वें दिन से 30वें दिन तक	रु. 78000/- प्रति दिन

(v).	31 वें दिन से 37 वें दिन तक	रु. 138000/- प्रति दिन
(vi).	38 वें दिन से 44 वें दिन तक	रु. 168000/- प्रति दिन
(vii).	45 वें दिन से 51 वें दिन तक	रु. 198000/- प्रति दिन
(viii).	52 वें दिन से 58 वें दिन तक	रु. 228000/- प्रति दिन
(ix).	59 वें दिन से आगे	रु. 258000/- प्रति दिन

टिप्पणी:

(1). ऊपर 7.6.2.6. तथा 7.2.6.7 पर उल्लेखित दरे 125 टन या इससे अधिक क्षमता वाले ट्रालों पर लागू हैं।

(2). 125 टन या इससे कम क्षमता वाले ट्रालों पर रु. 50,000/- की समेकित राशि तथा मद संख्या 7.6.2.4. तथा 7.2.6.5 पर उल्लेखित शुष्क डॉक का प्रयोग करने वाले 125 टन या इससे कम क्षमता वाले ट्रालों पर ट्रालों के द्वारा स्लिप वे का वास्तविक प्रभार।

(3). शुष्क डॉक में ट्रालों की संख्या का विचार किए बिना यह दर प्रत्येक ट्राले पर लागू होगी।

(4). मछली पकड़ने वाले पोतों अर्थात यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं और ट्रालों को छोड़कर अन्य पोतों के संबंध में ऊपर 7.6.2.4. से 7.2.6.7 पर उल्लेखित दरें दो गुणा हो जाएंगी।

7.6.2.8 बंकरों पर लेवी:

विवरण	इकाई	दर (रुपयों में)
यंत्रीकृत मछली मकड़ने वाले ट्रालों/नौकाओं के साथ संबद्ध बंकरों पर लेवी।	प्रति लिटर	0.05

7.6.2.9 तैलीय बिल्जों के निपटान के लिए प्रभार:

क्रम सं.	विवरण	इकाई	दर:रुपयों में
1.	पोतों के तैलीय बिल्जों के अविशिष्ट निपटान		
	क) निश्चित तैलीय बूम के लिए भाड़ा प्रभार	प्रति पोत 8 घंटा की प्रति पारी या उसका आंशिक भाग	3680
	ख) फलोटिंग तैलीय बूम के लिए भाड़ा प्रभार		9487.50

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रभारों में समयोपरि प्रभार शामिल नहीं हैं।

7.7. वीपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रभार की अनुसूची:

विवरण	इकाई	दर (रु. में)
मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रभार	टीईयू	152.00

टिप्पणियां:

(1). एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के लिए निर्धारित प्रशुल्क इस बात पर ध्यान दिए बिना पोतांतरण कंटेनरों से इतर सभी आयात ओवरसीज कंटेनरों पर लागू है कि भले ही आयात कंटेनर स्कैन किए जाते हैं अथवा नहीं।

(2). विशाखा कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (वीसीटीपीएल) द्वारा वीपीटी में परिचालित कंटेनर टर्मिनल के मामले में, उक्त प्रभार वीसीटीपीएल द्वारा संग्रहीत किए जाएंगे और वीपीटी को भुगतान किया जाएगा क्योंकि कंटेनर स्कैनर पर निवेश तथा इसका परिचालन पत्तन द्वारा किया जा रहा है।

(3). निर्धारित प्रशुल्क स्वत: वार्षिक सूचकांकन के अधीन आदेश सं. टीएएमपी/77/2018-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 में यथा अनुमोदित इसके लागू होने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

(4). ऊपर निर्धारित प्रशुल्क मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा परंतु 1 जनवरी 2019 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रशुल्क सीमा का ऐसा स्वत: समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमा प्रासंगिक वर्ष के 1 मई से आगामी वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होगी।

7.8. विशाखापत्तनम के भार पत्तन के माध्यम से विभिन्न कोयला वाहक पोतों से रेल-सह-समुद्र मार्ग द्वारा ताप कोयले के सीधे प्रहस्तन के लिए दर की अनुसूची:

I. प्रभार की अनुसूची

(रु. प्रति टन में)

विवरण	विदेशी तथा तटीय ताप कोयले के लिए दर
विशाखापत्तनम पत्तन में महानदी कोल फील्ड लिमिटेड (एमसीएल)/आईबी वैली के खनिज हैडों से ताप कोयला की प्राप्ति, निर्दिष्ट रेल साइडिंग में उतराई, स्टेक यार्ड में कार्गो का आवागमन, स्टेकयार्ड से बर्थ तक, कार्गो हिपिंग तथा पोतों पर लदाई।	रु.190.80

टिप्पणियां:

(क). कार्गो उतराई अर्थात् अपेक्षित जनशक्ति और उपस्कर की सेवा लेते हुए सभी वैगनों से कोयले की उतराई।

(ख). लगभग 56 टन ढुलाई करनेकी क्षमता के साथ लगभग 58 वैगन को शामिल करते हुए रेलवे रैक।

(ग). इस एसओआर में विनिर्दिष्ट प्रशुल्क पत्तन में कोयला रैकों की प्राप्ति की सेवा, निर्दिष्ट रेल साइडिंग में कोयला उतराई, उतारे गए कोयला को भंडारण के लिए निर्दिष्ट स्टेक यार्ड में ले जाना, स्टेक यार्ड से बर्थ तक कोयला परिवहन और नामित पोत में हीपिंग तथा कोयला लदाई। प्रशुल्क में स्रोत खदानों से रेलवे मालभाड़ा तथा वीपीटी में प्रभार अर्थात् रेलवे टर्मिनल प्रभार, वैगन हॉलेज प्रभार, घाटशुल्क, भंडारण प्लॉट किरायाऔर एचएमसी प्रभार शामिल नहीं हैं।

II. कार्यनिष्पादन मानक

गतिविधि	कार्यनिष्पादन मानक
वैगनों से उतराई के पूरा होने तक विनिर्दिष्ट साइडिंग पर रैक के प्लेसमेंट से कोयले की उतराई	9 घंटे

टिप्पणी:

कार्यनिष्पादन मानकों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए रैक का प्रहस्तन करने के लिए लगा समय "उतराई कार्गो के पूरा होने तक निर्दिष्ट रेल साइडिंग पर रैक के प्लेसमेंट से लिया गया समय है"।

खंड -8

लाईसेंस जारी करने के लिए प्रभार :

(दर:रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति लाइसेंस		
		अवधि	नया	नवीकरण
1	पोतीय मजदूरी	3 वर्ष	100000	100000
2	पोत की मरम्मत	1 वर्ष	3825	3825

3	चिपिंग व रंग-रोगन	1 वर्ष	2000	2000
4	पोत की चेंडिलिंग	1 वर्ष	825	825
5	अन्य व्यापारिक लाइसेंस	1 वर्ष	550	550
6	को-आपरिंग लाइसेंस	1 वर्ष	175	175
7	पेय जल जारी लाईसेंस	1 वर्ष	7925	7925

टिप्पणी: लाईसेंस की अवधि समाप्त होने पर नवीकरण के लिए आवेदन एक माह पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में रू.200 विलंब शुल्क लिया जाएगा।

Tariff Authority for Major Ports

Mumbai, 2 June, 2020

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

CORRIGENDUM

(Passed on this 1st day of June 2020)

No.TAMP/20/2019-VPT.—This Authority had passed an Order No. TAMP/20/2009-VPT dated 29 November 2019, approving the revised Scale of Rates (SOR) and Performance Standards based on the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for general revision of its SOR. The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority were notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) vide Gazette No. 494 dated 27 December 2019.

2. On comparing the Gazette Notification and Order downloaded from website of E-Gazette of India with the Office copy of the Notification along with Order sent to the Department of Publication, extensive printing errors have been observed in most of the pages in the Hindi Version of Annex-I i.e. SOR of the said Gazette Notification. The error pertains to re-shuffling of the words in the Annex-I in many of sentences and that too in most of the pages.

3. In view of the above, the Hindi Version of Annex-I i.e. SOR in the said Gazette Notification is re-notified as **Annex-I**. This shall replace Annex-I of the Hindi Version of Gazette Notification No. 494 dated 27 December 2019.

T.S BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.–III/4/Exty./176 /2020–21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA